मध्यप्रदेश शासन
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

प्रशासकीय प्रतिवेदन
2021–2022

प्रशासकीय प्रतिवेदन वर्ष 2021–22

अनुक्रमणिका

क्रमांक	विवरण
	विभाग की प्रशासकीय संरचना
1.	**भाग–एक** **सामान्यः** 1.1. संक्षिप्त जानकारी 1.2. विभागीय संरचना 1.3. अधीनस्थ कार्यालय 1.4. विभाग के दायित्व
2.	**भाग –दो** बजट विहंगावलोकन वर्ष 2021–2022
3	**भाग – तीन** विभाग द्वारा संचालित योजनाएँ 3.1 पिछड़ा वर्ग कल्याण योजनाएँ 3.2. अल्पसंख्यक कल्याण योजनाएँ 3.3. अभिनव योजनाएँ
4.	**भाग–चार** विभाग के अंतर्गत आने वाले मण्ड़ल/उपक्रम/संस्थाओं का विवरण
5.	**भाग– पांच** सामान्य प्रशासनिक विषय
6.	**भाग–छः** प्रकाशन
7.	**भाग – सात** राज्य की महिला नीति
8.	**भाग – 8** रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण योजना

मध्यप्रदेश शासन
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)	–	माननीय श्री रामखेलावन पटेल
प्रमुख सचिव	–	श्री अशोक बर्णवाल
विभागाध्यक्ष (आयुक्त)	–	श्री गोपाल चंद्र डाड
सर्वे वक्फ आयुक्त	–	श्री गोपाल चंद्र डाड
उपसचिव	–	श्री नारायण प्रसाद नामदेव
अवर सचिव,	–	– रिक्त –
प्रबंध संचालक,म0प्र0 पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम	–	श्री नारायण प्रसाद नामदेव
पीठासीन अधिकारी, म0प्र0राज्य वक्फ अधिकरण भोपाल	–	श्री शेख सलीम
सचिव, म0प्र0राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग	–	सुश्री लता शरणागत
सचिव,म0प्र0राज्य अल्पसंख्यक आयोग	–	सुश्री लता शरणागत
सचिव, म0प्र0 पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग	–	डॉ0 सूरज खोदरे
संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक राज्य स्तरीय रोजगार एवं प्रशिक्षण केन्द्र भोपाल	–	डॉ0 मनोज कुमार गौतम
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड	–	श्री शेख हसरूद्दीन
सचिव एवं कार्यपालन अधिकारी म.प्र. राज्य हज कमेटी	–	श्री यासिर अराफात, प्रभारी सचिव

मध्यप्रदेश शासन
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

विभाग की प्रशासकीय संरचना

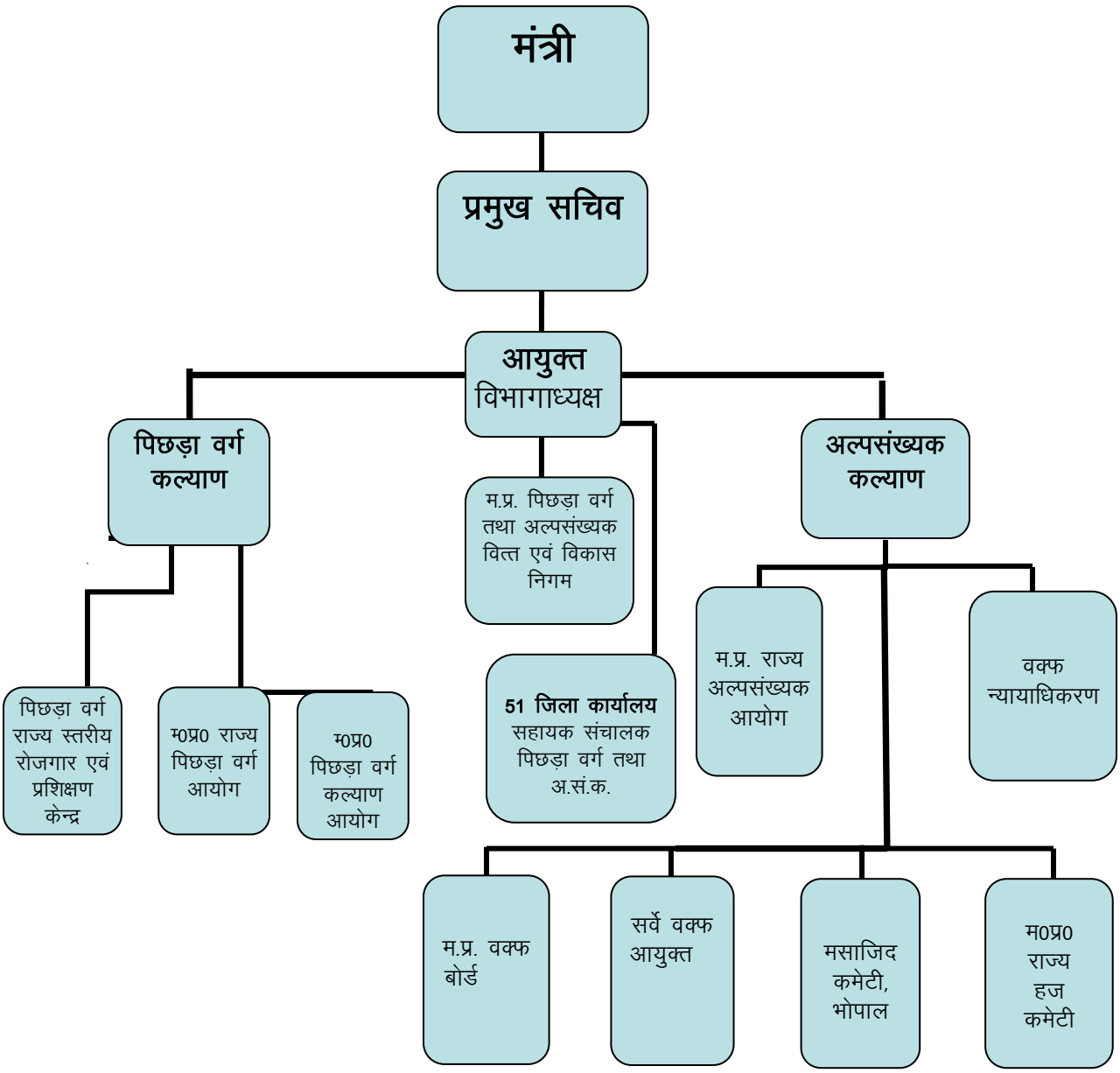

पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण

भाग –एक

सामान्य

1.1– संक्षिप्त जानकारी : –

महाजन आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर पिछड़ा वर्ग कल्याण संबंधी कार्यक्रमों को संचालित करने के लिये सर्वप्रथम दिनांक 12.10.1982 को ''संचालनालय पिछड़ा वर्ग कल्याण'' की स्थापना की गई थी। पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के विकास की गति तेज करने की दृष्टि से दिनांक 12 सितम्बर 1995 को राज्य शासन द्वारा पृथक से ''पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग'' गठित किया गया। मध्यप्रदेश में वर्तमान में कुल 93 जाति/उप जाति/वर्ग समूह पिछड़ा वर्ग के रुप में घोषित हैं।

अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु राज्य शासन द्वारा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का पृथक से गठन सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना दिनांक 6–2–1995 द्वारा किया गया तत्पश्चात् उसी विभाग की अधिसूचना दिनांक 12–9–1995 के द्वारा विभाग का पुनर्गठन किया जाकर, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग गठित किया गया।

मध्यप्रदेश शासन द्वारा 6 धार्मिक समुदायों क्रमशः मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन एवं पारसी को प्रदेश में अल्पसंख्यक घोषित किया गया है।

1.2 विभागीय संरचना :

1.2.1 विभागाध्यक्ष –पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अंतर्गत निम्नानुसार विभागाध्यक्ष घोषित है –

(1) आयुक्त, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण,

(2) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग,

1.2.2 स्वीकृत पद –

विभागाध्यक्ष कार्यालयः–

आयुक्त पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में वर्तमान में स्वीकृत भरे एवं रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है :–

संवर्ग	पदनाम	वेतनमान	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद
वरिष्ठ आय.ए.एस.	आयुक्त / संचालक	वरिष्ठ आई.ए.एस.	01	01	0
प्रथम श्रेणी	संयुक्त संचालक	15600–39100+7600 ग्रेड पे	01	01	0
	उपसंचालक	15600–39100+6600 ग्रेड पे	01	0	01
	वरिष्ठ लेखाधिकारी	15600–39100+6600 ग्रेड पे	01	01	0
द्वितीय श्रेणी	सहायक संचालक	15600–39100+5400 ग्रेड पे	03	03	0
	सहा0अनुसंधान अधिकारी	15600–39100+5400 ग्रेड पे	01	01	0
तृतीय श्रेणी	अधीक्षक	9300–34800+3600 ग्रेड पे	01	01	0
	शीघ्रलेखक–वर्ग 2	9300–34800+3600 ग्रेड पे	01	01	0
	सहा.सांख्यिकीय अधिकारी	9300–34800+3600 ग्रेड पे	01	01	0
	सहा.जनसंपर्क अधिकारी	9300–34800+3600 ग्रेड पे	01	0	01
	कनिष्ठ लेखाधिकारी	5200–20200+2800 ग्रेड पे	01	0	01

	सहायक वर्ग–1	5200–20200+2800 ग्रेड पे	03	01	02
	लेखापाल	5200–20200+2400 ग्रेड पे	02	0	02
	शीघ्रलेखक वर्ग–3	5200–20200+2800 ग्रेड पे	01	0	01
	सहायक वर्ग–2	5200–20200+2400 ग्रेड पे	03	02	01
	सहायक वर्ग–3	5200–20200+1900 ग्रेड पे	10	10	0
	स्टेनो टाइपिस्ट	5200–20200+1900 ग्रेड पे	01	0	01
	वाहन चालक (02पद नियमित एवं 02 पद कार्यभारित)	5200–20200+1900 ग्रेड पे	04	03	01
	वाहन चालक (दैनिक वेतन भोगी)	कलेक्टर दर	01	01	0
	कम्प्यूटर ऑपेरटर (कलेक्टर दर / आऊट सोर्सिंग से)	कलेक्टर दर	04	04	0
चतुर्थ श्रेणी	दफ्तरी	4440–7440+1400 ग्रेड पे	01	01	0
	भृत्य	4440–7440+1300 ग्रेड पे	13	13	0
	भृत्य (स्थायी कर्मी)	4000–80–7000	02	02	0
	भृत्य (कलेक्टर दर/ आऊट सोर्सिंग से)	कलेक्टर दर	02	02	0

1.2.3 अधीनस्थ कार्यालय :–

सर्वे वक्फ आयुक्त:– आयुक्त पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण के अधीन सर्वे वक्फ आयुक्त भोपाल के कार्यालय के अधीन स्वीकृत भरे रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	संवर्ग	पदनाम	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद	वेतनमान
1.	प्रथम श्रेणी	सर्वे वक्फ आयुक्त	01	0 अतिरिक्त प्रभार	01	15600–39100+7600 ग्रेड पे
2.	तृतीय श्रेणी	सहायक ग्रेड–2	01	0	01	5200–20200+2400 ग्रेड पे
3.	तृतीय श्रेणी	सहायक ग्रेड–3	01	01	0	5200–20200+1900 ग्रेड पे
4.	चतुर्थ श्रेणी	भृत्य	01	01	0	4440–7440+1300 ग्रेड पे

राज्य स्तरीय रोजगार एवं प्रशिक्षण केन्द्र भोपाल (पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण):–

विभाग अंतर्गत मुख्यालय भोपाल में पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं एवं रोजगार मूलक विषयों में प्रशिक्षण देने हेतु संचालक, राज्य स्तरीय रोजगार एवं प्रशिक्षण केन्द्र (पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण) भोपाल कार्यालय संचालित है। केन्द्र में स्वीकृत, भरे एवं रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है:–

क्र.	संवर्ग	पदनाम	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद	वेतनमान
1.	प्रथम श्रेणी	संचालक	01	01	0	123100–215900
2.	द्वितीय श्रेणी	सहायक संचालक	01	01	0	56100–177500
3.	तृतीय श्रेणी	वार्डन	01	0	01	36200–114800
4.	तृतीय श्रेणी	ग्रंथपाल	01	0	01	28700–91300
5.	तृतीय श्रेणी	लेखापाल	01	0	01	25300–80500
6.	तृतीय श्रेणी	सहायक वर्ग–2	01	0	01	19500–62000
7.	तृतीय श्रेणी	स्टेनोटायपिस्ट	01	0	01	19500–62000
8.	तृतीय श्रेणी	सहायक वर्ग–3	02	02	0	19500–62000
9.	चतुर्थ श्रेणी	नियमित भृत्य	02	02	0	15500–49000
10.	संविदा	अधीक्षिका शिक्षक वर्ग–2	01	01	0	संविदा कर्मियों के लिए निर्धारित वेतनमान
11.	चतुर्थ श्रेणी	चौकीदार, भृत्य	02	02	0	कलेक्टर दर आउटसोर्सिंग के आधार पर
12.	चतुर्थ श्रेणी स्थाई कर्मी	चौकीदार, भृत्य,फरार्श, स्वीपर, रसोईया	06	02	04	4000–80–7000

मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम, भोपाल :–

मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम भोपाल में स्वीकृत, भरे एवं रिक्त पदों की स्थिति निम्नानुसार है :–

क्रं.	पद नाम	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	सातवा वेतनमान
1	प्रबंध संचालक	01	01	सचिव,म.प्र.शासन, पि.व.तथा अ.स.क. विभाग के पास अतिरिक्त प्रभार	भारतीय प्रशासनिक सेवा
2	प्रबंधक वित्त	01	–	01	67300/–
3	सहायक प्रबंधक	01	–	01	42700/–
4	कनिष्ठ लेखाधिकारी	01	–	– (लेखापाल के पास अतिरिक्त प्रभार)	36200/–
5	कनिष्ठ शीध्रलेखक	02	–	02	29600/–
6	लेखापाल	02	01	01	25300/–
7	उच्च श्रेणी लिपिक	01	–	01	25300/–
8	स्टेनो टायपिस्ट	01	01	–	19500/–
9	निम्न श्रेणी लिपिक	03	03	–	19500/–
10	वाहन चालक	03	03	–	19500/–
11	भृत्य	02	01	01	16000/–
12	भृत्य (स्थाईकर्मी)	04	03	01	4000–7000
13	सफाई कर्मी अंशकालीन	01	01	–	जिलाध्यक्ष दर

नोट– 01 पद आउटसोर्सिंग से भृत्य कार्यरत है।

मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग :– म0प्र0राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में स्वीकृत, भरे एवं रिक्त पदों की स्थिति निम्नानुसार है :–

क्र.	आयोग में स्वीकृत पद नाम	वेतनमान	स्वीकृत पद संख्या	भरे पद	रिक्त पद
1	सचिव (राज्य प्रशासनिक सेवा)	15600–39100+6600	1	1	0
2	उपसंचालक	15600–39100+6600	1	1	0
3	अनुसंधान अधिकारी	15600–39100+6600	1	0	1
4	कार्यालय अधीक्षक	9300–34800+3600	1	0	1
5	निज सचिव	9300–34800+4200	4	0	4
6	निज सहायक	9300–34800+3600	4	0	4
7	शीघ्रलेखक	9300–34800+3600	1	1	0
8	प्रोग्रामर	9300–34800+3200	1	0	1
9	लेखापाल	5200–20200+2400	1	0	1
10	अन्वेषक	5200–20200+2400	1	0	1
11	सहायक ग्रेड–2	5200–20200+2400	1	0	1
12	संगणक	5200–20200+2100	1	0	1
13	स्टेनोटायपिस्ट	5200–20200+1900	2	0	2
14	सहायक ग्रेड–3	5200–20200+1900	1	1	0
15	कार्यभारित एवं आकस्मिक सेवा–वाहन चालक	5200–20200–1900	4	3	1
16	भृत्य (स्थाई कर्मी)	4000–80–7000	13	8	5
17	चौकीदार (स्थाई कर्मी)	4000–80–7000	1	1	0
18	फर्राश (स्थाई कर्मी)	4000–80–7000	1	1	0
	योग		40	17	23

मध्य प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग:–राज्य अल्पसंख्यक आयोग के स्वीकृत, भरे एवं रिक्त पदों की स्थिति निम्नानुसार है :–

स.क्र.	पदनाम	वेतनमान	स्वीकृत पदों की संख्या	भरे पदों की संख्या	रिक्त पद
1.	सचिव	संवर्ग वेतनमान	01	01	0
2.	अनुसंधान अधिकारी	9300–34800 ग्रेड पे.4200	01	0	01
3.	अनुभाग अधिकारी	9300–34800 ग्रेड पे.4200	01	0	01
4.	निज सचिव	9300–34800 ग्रेड पे.4200	01	01	0
5	शीघ्रलेखक–वर्ग–2	9300–34800 ग्रेड पे.3600	01	01	0
6.	कनिष्ठ लेखाधिकारी	9300–34800 ग्रेड पे.3200	01	0	01
7.	सहायक वर्ग–1	5200–20200 ग्रेड पे.2800	01	0	01
8	सहायक वर्ग–2	5200–20200 ग्रेड पे.2400	02	01	01
9	सहायक वर्ग–3	5200–20200 ग्रेड पे.1900	04	02	02
10	वाहन चालक	5200–20200 ग्रेड पे.1900	01	01	0
11	भृत्य	4440–7440 ग्रेड पे.1300	03	03	0
12	कार्यभारित एवं आकस्मिक सेवा–वाहन चालक	जिलाध्यक्ष द्वारा निर्धारित दर	02	01	01
13	भृत्य	जिलाध्यक्ष द्वारा निर्धारित दर	01	01	0
		कुल	20	12	08

म.प्र. राज्य वक्फ अधिकरण हेतु स्वीकृत पदः–

वक्फ अधिकरण में स्वीकृत, भरे एवं रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है–

क्र.	संवर्ग	पदनाम	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद	वेतनमान
1.	प्रथम श्रेणी	अध्यक्ष (जिला एवं सत्र न्यायाधीश)	01	01	0	57700–70290
2	राज्य प्रशासनिक सेवा	सदस्य	01	01	–	15600–39100+7600 ग्रेड पे
3	मुस्लिम विधि शास्त्री	सदस्य	01	01	0	मानदेय पर
4	तृतीय श्रेणी	शीघ्र लेखक	01	0	01	5200–20200+2800 ग्रेड पे
5	तृतीय श्रेणी	लेखापाल	01	01	0	5200–20200+2400 ग्रेड पे
6.	तृतीय श्रेणी	प्रस्तुतकार	01	01	0	5200–20200+2100 ग्रेड पे
7	तृतीय श्रेणी	साक्ष्य लेखक	01	01	0	5200–20200+1900 ग्रेड पे
8	तृतीय श्रेणी	आदेशिका लेखक	01	0	01	5200–20200+1900 ग्रेड पे
9	तृतीय श्रेणी	प्रतिलिपिकार	01	0	01	5200–20200+1900 ग्रेड पे
10	तृतीय श्रेणी	निष्पादन लिपिक	01	01	0	5200–20200+1900 ग्रेड पे
11	चतुर्थ श्रेणी	आदेशिका वाहक	01	01	0	4440–7440+1300 ग्रेड पे +70 निश्चित यात्रा भत्ता
12	चतुर्थ श्रेणी	भृत्य	02	01	0	4440–7440+1300 ग्रेड पे
13	चतुर्थ श्रेणी	चौकीदार सह फर्राश	01	01	0	4440–7440+1300 ग्रेड पे
14	चतुर्थ श्रेणी	वाहन चालक (स्थायी कर्मी)	01	01	0	स्थाई कर्मी
15	संविदा	सहायक वर्ग–3	02	0	02	रू. 8000/–प्रतिमाह निश्चित वेतन
16	संविदा	भृत्य	02	0	02	रू. 5000/–प्रतिमाह निश्चित वेतन

म0प्र0 पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग हेतु स्वीकृत पदः–

म0प्र0 पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग में स्वीकृत, भरे एवं रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है–

क्र.	पदनाम	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद	वेतनमान
1.	सचिव	01	01	00	15600–39100 + 5400 ग्रेड पे
2	कार्यालय सहायक	02	01	01	5200–20000 + 1900 ग्रेड पे
3	भृत्य	02	01	01	4440–7440 + 1300 ग्रेड पे

जिला कार्यालयों हेतु स्वीकृत पदः–

पिछड़ा वर्ग कल्याण अंतर्गत वर्ष 2012–13 से विभाग के नवीन जिला कार्यालय स्थापित किये गये तथा प्रत्येक जिले में सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण को कार्यालय प्रमुख एवं आहरण संवितरण अधिकारी घोषित किया गया है। जिला कार्यालय हेतु स्वीकृत भरे एवं रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	संवर्ग	पद का नाम	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद	वेतनमान
1.	द्वितीय श्रेणी	सहायक संचालक	51	29	22	15600–39100+5400 ग्रेड पे
2.	तृतीय श्रेणी	निरीक्षक	51	46	05	9300–34800+3600 ग्रेड पे
3.	तृतीय श्रेणी	कनिष्ठ लेखाधिकारी	51	08	43	5200–20200+2800 ग्रेड पे
4.	तृतीय श्रेणी	लेखापाल	50	02	48	5200–20200+2400 ग्रेड पे
5.	तृतीय श्रेणी	सहायक ग्रेड–2	51	16	35	5200–20200+2400 ग्रेड पे
6.	तृतीय श्रेणी	सहायक ग्रेड–3	51	51	0	5200–20200+1900 ग्रेड पे
7.	चतुर्थ श्रेणी	भृत्य	51	28	23	4440–7440+1300 ग्रेड प
8.	तृतीय श्रेणी	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	51	51	0	कलेक्टर दर पर (आऊट सोर्सिंग से प्रति जिला 1 पद)
9.	चतुर्थ श्रेणी	भृत्य/फर्राश कम चौकीदार	100	50	50	कलेक्टर दर पर (आऊट सोर्सिंग से प्रति जिला 2 पद)

1.3 विभाग के अंतर्गत आने वाले मण्डल/उपक्रम/संस्थाएँ :

विभाग के अंतर्गत निम्न मण्डल/उपक्रम/संस्थाएँ स्थापित हैं :–

1. मण्डल/उपक्रम – म.प्र. पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम.
2. संस्थाएँ –
    1. मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग
    2. राज्य स्तरीय रोजगार एवं प्रशिक्षण केन्द्र भोपाल
    3. मध्यप्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग
    4. मध्यप्रदेश वक्फ न्यायाधिकरण
    5. मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड
    6. मध्यप्रदेश राज्य हज कमेटी
    7. मसाजिद कमेटी, भोपाल
    8. सर्वे वक्फ आयुक्त भोपाल
    9. मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग

1.4 विभाग के दायित्व :–

1.4.1 पिछड़ा वर्ग कल्याण :

1. पिछड़ा वर्ग के लिए कल्याण कार्यक्रम।
2. पिछड़ा वर्ग विद्यार्थियों हेतु छात्रवृत्ति योजनाएं एवं छात्रावास योजना संचालित करना।
3. पिछड़े वर्गो को अन्य सुविधाए प्रदान करना।
4. मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित विषय।
5. मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम से संबंधित कार्य।
6. पिछड़े वर्ग के अंतर्गत आने वाली जातियां।
7. मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग से संबंधित विषय।

1.4.2 अल्पसंख्यक कल्याण :

1. अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों हेतु भारत सरकार द्वारा संचालित छात्रवृत्ति योजनाएं एवं अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों हेतु छात्रावास योजना संचालित करना।
2. अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों हेतु छात्रावास योजना।
3. वक्फ और उससे संबंधित विषय।
4. अल्पसंख्यकों के लिये 15 सूत्रीय कार्यक्रम।
5. म.प्र. राज्य अल्पसंख्यक आयोग से संबंधित विषय।
6. राज्य के लिये हज समिति तथा भूतपूर्व भोपाल रियासत की मसाजिद समिति से संबंधित विषय।
7. अल्पसंख्यकों से संबंधित विषय।

भाग–दो

बजट प्रावधान विहंगावलोकन (एक दृष्टि में) 2021–2022

अ पिछड़ा वर्ग कल्याण – कुल बजट प्रावधान **रू. 86006.02 लाख**

क्रं.	योजना का नाम	बजट प्रावधान (रू.लाख में)	31 दिसम्बर,, 2021 तक व्यय (रू.लाख में)
1	2	3	4
1	जिला तथा परियोजना प्रशासन	1949.79	1048.78
2	निर्देशन और प्रशासन	426.08	242.52
3	राज्य छात्रवृत्ति–(योजना स्कूल शिक्षा विभाग को हस्तांतरित)	16500.00	12916.05
4	राज्य स्तरीय परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंन्द्र भोपाल	113.04	52.98
5	रामजी महाजन स्मृति पुरस्कार	13.46	0.00
6	मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग	163.75	66.81
7	आश्रम और छात्रावास	770.67	201.15
8	छात्रगृह योजना	55.80	9.26
9	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	51900.00	35976.32
10	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना)	9240.00	0.00
11	प्रावीण्य छात्रवृत्ति	15.00	1.80
12	उच्च शिक्षा के लिए विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति	1200.00	629.93
13	जिला स्तरीय कन्या छात्रावास की स्थापना	646.90	209.37
14	बेरोजगार युवक युवतियों को रोजगार प्रशिक्षण	1200.00	457.47
15	म0प्र0पिछड़ा वर्ग व्यवसायिक प्रतिभा परीक्षा पुरस्कार योजना	1.50	0.00
16	म.प्र.पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम (स्थापना)	0.01	0.00
17	संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग से परीक्षा	40.00	25.60
	योग – मुख्यशीर्ष 2225	**84236**	**51838.04**
	मुख्यशीर्ष 4225 :–		
18	म0प्र0 पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम (अंशपूंजी)	0.01	0.00
19	जिला स्तरीय बालक छात्रावासों का भवन निर्माणः– (राज्य का हिस्सा + केन्द्र का हिस्सा)	570.00	0.00
20	जिला स्तरीय कन्या छात्रावास भवनों का निर्माणः– (राज्य का हिस्सा + केन्द्र का हिस्सा)	1200.01	183.84
	योग – मुख्यशीर्ष 4225	**1770.02**	**183.84**
	कुल महायोग–मुख्यशीर्ष 2225+4225	**86006.02**	**52021.88**

बजट प्रावधान विहंगावलोकन वर्ष 2021–22

ब. अल्पसंख्यक कल्याण –कुल बजट प्रावधान– रू. **19452.72** लाख

क्र	योजना का नाम	बजट प्रावधान (रू.लाख में)	31 दिसम्बर, 2021 तक व्यय (रू.लाख में)
1.	वक्फ कमिश्नर का कार्यालय	7.10	1.94
2.	मध्यप्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग	161.59	46.84
3.	मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल को सहायक अनुदान	300.00	0.00
4.	मसाजिद कमेटी भोपाल को सहायक अनुदान	388.00	202.06
5.	मध्यप्रदेश हज कमेटी को सहायक अनुदान	180.00	90.00
6.	चर्च एवं दरगाह को सहायक अनुदान	60.00	24.59
7	वक्फ न्यायाधिकरण का गठन	129.12	44.17
8	पोस्टमैट्रिक अल्पसंख्यक कन्या छात्रावास	68.16	21.17
9	बेरोजगार युवक–युवतियों को रोजगार प्रशिक्षण	54.66	18.91
10	अल्पसंख्यक सेवा राज्य पुरस्कार	46.38	0.00
11	मध्यप्रदेश हज कमेटी को हज हाऊस के निर्माण हेतु अनुदान	102.10	0.00
12	राज्य छात्रवृत्तियां (केन्द्र प्रवर्तित–0701/केन्द्र क्षेत्रीय–0801)	18.00	0.0
13	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (केन्द्र क्षेत्रीय–0801)	20.00	0.00
14	मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति (केन्द्र क्षेत्रीय–0801)	2.00	0.00
15	अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों में विकास कार्यक्रम (केन्द्र क्षेत्रीय–0801)	17951.61	454.99
	कुल योग :–	**19452.72**	**904.67**

भाग–तीन

विभाग द्वारा संचालित योजनाएं

पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण अन्तर्गत संचालित प्रमुख योजनाएं निम्नानुसार है :–

3.1 पिछड़ा वर्ग कल्याण योजनाएँः–

3.1.1 राज्य योजनाएँः

(1) राज्य छात्रवृत्तिः–

यह छात्रवृत्ति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को कक्षा 6 से 10 तक निरन्तर विद्याध्ययन के लिए प्रोत्साहित करने हेतु (दस माह के लिये) दी जाती है। छात्रवृत्ति की दरें निम्नानुसार हैंः–

प्रतिमाह दर (दस माह हेतु)

कक्षा	बालक	बालिका
6 से 8	रू0 20.00	रू0 30.00
9 एवं 10	रू0 30.00	रू0 40.00

राज्य छात्रवृत्ति की पात्रता पिछड़े वर्ग के उन विद्यार्थियों को हैं जिनके अभिभावक आयकरदाता की सीमा में नहीं आते हैं. इसके साथ ही यह लाभ उन परिवार के विद्यार्थियों के लिये उपलब्ध नहीं होगा जिनके पास दस एकड़ से अधिक भूमि है। **वित्तीय वर्ष 2013–14 से यह योजना स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संचालित की जा रही है।**

वर्ष 2019–20 में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कुल 33.16 लाख विद्यार्थियों (कक्षा 11वीं एवं 12वीं जोडकर) को राशि रू. 220.16 करोड़ की छात्रवृत्ति वितरित की गई। गत वर्ष 2020–21 में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 29.71 लाख विद्यार्थियों (कक्षा 11वीं एवं 12वीं जोडकर) को छात्रवृत्ति राशि रू. 207.39 करोड़ स्वीकृत कर वितरित की गई। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021–22 में राशि रू. 165.00 करोड़ का प्रावधान किया जाकर राशि स्कूल शिक्षा विभाग को हस्तांतरित की गई है । स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा छात्रवृत्ति स्वीकृति की कार्यवाही की जा रही है।

(2) पोस्ट –मैट्रिक छात्रवृत्तिः–

यह छात्रवृत्ति पिछड़ा वर्ग के कक्षा 11 वीं, 12वीं, स्नातक एवं स्नातकोत्तर तथा तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को राज्य शासन द्वारा निर्धारित दरों पर प्रदान की जाती है। पात्रता उन विद्यार्थियों को है जिनके माता–पिता /अभिभावक की वार्षिक आय सीमा समस्त स्त्रोतों से रू. 3.00 लाख से कम हो। वित्तीय वर्ष

2013–14 से कक्षा 11वीं एवं 12वीं की पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति स्वीकृति एवं वितरण का कार्य स्कूल शिक्षा विभाग को सौंपा गया है एवं समेकित छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत कक्षा 11वीं एवं 12वीं की छात्रवृत्ति का बजट प्रावधान राज्य छात्रवृत्ति मद अंतर्गत किया गया है। मध्यप्रदेश शासन, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ–12–01/11/54–1 दिनांक 12–12–2013 द्वारा पिछड़ा वर्ग मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति नियम 2003 में आंशिक संशोधन कर संशोधित नियम 2013 जारी किये गये है। जिसमें मुख्य रूप से निम्नांकित प्रावधान सम्मिलित किए गए है :–

2.1 छात्रवृत्ति की पात्रता के लिए संबंधित विद्यार्थी की संबंधित शिक्षण संस्था में 75 प्रतिशत उपस्थिति आवश्यक है। इस आशय का स्पष्ट प्रमाणपत्र संस्था के प्राचार्य द्वारा संबंधित जिले के सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। छात्रवृत्ति का वितरण आनलाइन, नियमानुसार एवं पात्रतानुसार किया जाता है।

2.2. छात्रवृत्ति का वितरण पूर्णतः शिक्षण शुल्क एवं अन्य व्यय सहित ऑनलाइन विद्यार्थियों के नाम के एकल बैंक खाते में किया जाता है ।

2.3. कक्षा 11 वीं एवं कक्षा 12 वीं के विद्यार्थियों की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की स्वीकृति एवं वितरण का दायित्व वित्तीय वर्ष 2013–14 से स्कूल शिक्षा विभाग को सौंपा गया है जिनकी छात्रवृत्ति का भुगतान पिछडा वर्ग राज्य छात्रवृत्ति योजना मद में किए गए प्रावधान से किया जाता है। अतएव कक्षा 11 वीं एवं कक्षा 12 वीं के छात्रों को छोडकर पोस्ट मैट्रिक कक्षाओं के शेष छात्रों का भुगतान पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के बजट प्रावधान से किया जाता है।

2.4. पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत पिछडे वर्ग के विद्यार्थियों की औसत 75 प्रतिशत वार्षिक उपस्थिति एवं वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित होने की पुष्टि के पश्चात् ही छात्रवृत्ति स्वीकृत की जावे। छात्रवृत्ति स्वीकृत किए जाने के पूर्व स्वीकृत पाठ्यक्रम की मान्यता, वास्तविक विद्यार्थियों के प्रवेश, संस्था की मान्यता का पूर्ण परीक्षण कर लिया जावे एवं यह सुनिश्चित किया जाए। कि प्रवेश लेने वाले सभी विद्यार्थी (बीमारी आदि की स्थिति को छोडकर) संबंधित कोर्स की परीक्षा में अनिवार्य रुप से प्रवेश लेवें तथा विद्यार्थियों के भौतिक सत्यापन के उपरांत पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का भुगतान ऑनलाइन विद्यार्थियों के नाम के एकल बैंक खाते में संबंधित जिले के सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण द्वारा किया जावेगा।

2.5. म.प्र.शासन,पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के आदेश क्रमांक 1038/1374/2016/54–1, दिनांक 5/10/2016 के द्वारा भारत सरकार द्वारा संचालित संस्थानों एवं केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में प्रदेश के अध्ययनरत नियमानुसार पात्रता रखने वाले पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति के रूप में विद्यार्थियों द्वारा देय पूरी फीस की प्रतिपूर्ति की जाएगी। विद्यार्थियों के माता–पिता/अभिभावकों की वार्षिक आय सीमा केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित ही मान्य की जाए जो कि वर्तमान में रूपये 2.50 लाख वार्षिक निर्धारित है। ऐसी छात्रवृत्ति स्वीकृत किये जाने पर अतिरिक्त व्यय भार की पूर्ति भारत सरकार की योजना के अंतर्गत प्राप्त राशि से की जाएगी।

2.6. मध्यप्रदेश शासन पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के आदेश क्रमांक एफ–12–3/2015/54–1 दिनांक 19–06–18 द्वारा राज्य शासन द्वारा मंत्रि–परिषद की बैठक दिनांक 05/06/2018 में लिए गए निर्णय अनुसार शासन आदेश क्रमांक एफ–12–01/11/54–1, दिनांक 12.12.2013 द्वारा पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति योजना को शासित करने वाले प्रतिस्थापित संशोधित विनियम 2013 में निम्नानुसार संशोधन किया गया हैः–

2.6.1. नियम कण्डिका क्रमांक 3.11 में संशोधन किया जाता है कि–पात्रता उन विद्यार्थियों को है जिनके माता–पिता/अभिभावक की वार्षिक आय सीमा समस्त स्त्रोतों से रू. 3.00 लाख से कम हो।

2.6.2. नियम कण्डिका क्रमांक 5.1 –अनुरक्षण भत्ता में निम्नानुसार दरें संशोधित की जाती हैं :–

समूह	निर्वाह/अनुरक्षण भत्ते की दर (रूपये प्रतिमाह)	
	छात्रावासी	गैर छात्रावासी
समूह–1 मेडिकल तथा इजीनियरिंग में डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स, भारतीय चिकित्सा में डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट स्तर पाठ्यक्रम (आयुर्वेद, यूनानी/तिब्बीया तथा होम्योपैथिक) बी.एस.सी (कृषि, पशु चिकित्सा तथा मत्स्य पाठ्यक्रम) उच्च तकनीकी तथा सभी व्यवसायिक पाठ्यक्रमों (जो अन्य समूहां में शामिल नहीं हैं) में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ द्वारा संचालित विधि विषय में डिग्री तथा पोस्ट ग्रेजुएट स्तर के पाठ्यक्रम सी.पी.एल./सी.ए./सी.एस./एम–फिल/पी.एच.डी/डी.एस.सी/डी.लिट/एल.एल.एम. आदि	रूपये 850/–	रूपये 380/–
समूह–2 मेडिकल तथा इंजीनियरिंग में डिप्लोमा पाठ्यक्रम भारतीय चिकित्सा (आयुर्वेद, यूनानी/तिब्बीया तथा होम्योपैथिक) में डिप्लोमा पाठ्यक्रम, प्रौद्योगिकी, आर्कीटेक्चर तथा मुद्रण प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा पाठ्यक्रम, होटल प्रबंध/होटल प्रबंध प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा तथा उच्चतर पाठ्यक्रम, नर्सिंग तथा फार्मेसी में डिप्लोमा/डिग्री/पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रम, व्यवसाय प्रबंध, चार्टर्ड एवं लागत/निर्माण एकाउन्टेन्सी में डिग्री तथा पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स, समस्त स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम एवं समस्त डिप्लोमा पाठ्यक्रम।	रूपये 450/–	रूपये 230/–
समूह–3 बी.ए/बी.एस.सी/बो.काम/बी.एड, समस्त प्रमाण पत्र स्तर के पाठ्यक्रम एवं अन्य जो समूह 1 और 2 में शामिल नहीं है।	रूपये 400/–	रूपये 230/–
ग्रेजुएशन करने से पूर्व के सभी मैट्रिकोत्तर पाठयक्रम जैसे 10+2 प्रणाली में कक्षा 11 तथा 12 और इन्टरमिडियेट परीक्षा आदि	रूपये 400/–	रूपये 230/–

6.2.3. नियम कण्डिका क्रमांक 5.3 – फीस में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :–

6.2.3.1 ''विद्यार्थियों को नामांकन/पंजीयन, शिक्षण, खेलकूद, यूनिफार्म, पुस्तकालय, पत्र–पत्रिकाएं, चिकित्सा–जाँच फीस का तथा शैक्षणिक संस्था या विश्वविद्यालय/मंडल को विद्यार्थी द्वारा

अनिवार्य रूप से दी जाने वाली ऐसी अन्य फीस का भुगतान किया जायेगा परंतु इसमें अवधान राशि, प्रतिपूर्ति जमा जैसी वापसी योग्य जमा रकम में शामिल नहीं होगी एवं यह फीस उसी सीमा तक देय होगी जो किसी शासकीय संस्था (कॉलेज)/शासकीय विश्वविद्यालय में उसी पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् पिछड़े वर्ग के विद्यार्थी से ली जाती है।

6.2.3.2 भारत सरकार द्वारा संचालित संस्थानों एवं केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में प्रदेश के अध्ययनरत नियमानुसार पात्रता रखने वाले पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के रूप में विद्यार्थियों द्वारा देय पूरी फीस की प्रतिपूर्ति की जायेगी।

6.2.3.3 राज्य के शासकीय महाविद्यालय/शासकीय स्वशासी महाविद्यालय/शासकीय विश्वविद्यालयों में संचालित स्ववित्तीय पाठ्यक्रमों में प्रवेशित पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को पूर्ण शिक्षण शुल्क सहित अन्य अनिवार्य शुल्कों की प्रतिपूर्ति की जायेगी।

6.2.3.4 अशासकीय संस्थाओं (कॉलेज)/अशासकीय विश्वविद्यालयों में संचालित स्ववित्तीय पाठ्यक्रमों में प्रवेशित पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को शासकीय संस्थाओं (कॉलेज) के बेसिक पाठ्यक्रम में ली जा रही शिक्षण शुल्क सहित अन्य अनिवार्य शुल्कों की पतिपूर्ति की जायेगी।

6.2.3.5 मान्यता प्राप्त अशासकीय संस्थाओं में संचालित बी.ई. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आयोजित जे.ई.ई. (JEE) मेन्स परीक्षा में पिछड़े वर्ग के जिन विद्यार्थियों की मेरिट रैंक 1.50 लाख तक हो उन्हें पूर्ण शिक्षण शुल्क का भुगतान किया जायेगा।

6.2.3.6 एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु राज्य शासन के मेडिकल महाविद्यालयों तथा मात्र वे निजी महाविद्यालय जो म.प्र. राज्य में स्थित हैं, में प्रवेश हेतु आयोजित राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा (NEET) के आधार पर जिन पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया हो उन्हें पूर्ण शिक्षण शुल्क का भुगतान किया जायेगा। शासकीय मेडिकल महाविद्यालय में शिक्षित विद्यार्थी (डॉक्टर) मेधावी छात्र योजना के समान दो वर्ष तक राज्य शासन द्वारा सुनिश्चित ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करने का अनुबंध करेंगे और इस आशय का बॉण्ड राशि रूपये दस लाख के रूप में निष्पादित कर संबंधित प्राधिकारी के पास जमा करेंगे। निजी महाविद्यालय में यह अवधि पांच वर्ष तथा बॉण्ड की राशि रूपये पच्चीस लाख होगी।

उपरोक्तानुसार आदेश शैक्षणिक सत्र 2018–19 से प्रभावशील होगा।

वर्ष 2019–20 में 3.87 लाख विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति राशि रू. 580.81 करोड़ स्वीकृत कर लाभांवित किया गया। गत वर्ष 2020–21 में राशि रू. 620.44 करोड़ की छात्रवृत्ति स्वीकृत कर 5.64 लाख विद्यार्थियों को लाभांवित किया गया। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021–22 का छात्रवृत्ति पोर्टल खोलने की कार्यवाही प्रचलन में है।

(3) राज्य स्तरीय रोजगार एवं प्रशिक्षण केन्द्रः (पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण) भोपाल : –

प्रदेश के पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के प्रतिभावान किन्तु आर्थिक रूप से कमजोर युवक–युवतियों को इस केन्द्र के माध्यम से लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य प्रशासनिक सेवा परीक्षा, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा /कर्मचारी चयन आयोग/प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड/रेल्वे/बीमा क्षेत्र की प्रतियोगी परीक्षाओं का निःशुल्क प्रशिक्षण इस राज्य स्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र के माध्यम से दिये जाने का प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु चयनित प्रशिक्षणार्थियों को निःशुल्क प्रशिक्षण, शिष्यवृत्ति रूपये 350/– प्रतिमाह, निःशुल्क आवास सुविधा एवं पुस्तकालय सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। प्रशिक्षण

कार्यक्रम हेतु प्रशिक्षणार्थियों का चयन पात्रताधारी परीक्षा के प्राप्तांक की वरीयता के आधार पर चयन समिति के माध्यम से किया जाता है। वर्ष 2015–16 से प्रदेश के पिछड़ा वर्ग के साथ–साथ अल्पसंख्यक वर्ग के युवक–युवतियों को भी नियमानुसार प्रतियोगी परीक्षाओं का निःशुल्क प्रशिक्षण, निःशुल्क आवास सुविधा एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं।

गत वर्ष 2019–20 में प्रशिक्षण केन्द्र को रूपये 128.19 लाख का प्रावधान किया गया जिसके विरूद्ध राशि रू. 83.00 लाख व्यय किये गये। प्रशिक्षण केन्द्र के माध्यम से वर्ष 2019–20 में राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा हेतु 115 प्रशिक्षणार्थियों को, राज्य सेवा मुख्य परीक्षा हेतु 24 प्रशिक्षणार्थियों को, एवं राज्य सेवा साक्षात्कार परीक्षा हेतु 08 प्रशिक्षणार्थियों को निःशुल्क प्रशिक्षण, आवासीय सुविधा उपलब्ध करायी गई है। उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों के परिणाम स्वरूप राज्य सेवा प्राम्भिक परीक्षा में 15, मुख्यपरीक्षा में 04 एवं साक्षात्कार परीक्षा में 02 प्रशिक्षणार्थी उत्तीर्ण हुये है। ऐसे ही प्रशिक्षण प्राप्त 06 अन्य प्रशिक्षणार्थी विविध शासकीय सेवाओं में भी चयनित हुए है।

वित्तीय वर्ष 2020–21 में प्रशिक्षण केन्द्र को रूपये 1.06 करोड़ का आवंटन जारी किया गया था। कोविड–19 संक्रमण गाईड लाईन के चलते ऑफलाईन कोचिंग कार्यक्रम के स्थान पर ऑनलाईन कोचिंग के माध्यम से 120 प्रशिक्षणार्थियों को राज्य सेवा प्रारम्भिक परीक्षा का प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। वर्ष 2020–21 में राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा में केन्द्र के 21 प्रशिक्षणार्थी सफल घोषित किये गये है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 अंतर्गत वर्तमान में राज्य सेवा परीक्षा का 6 माह अवधि का प्रशिक्षण सत्र संचालित है। पिछड़ा वर्ग के 90 एवं अल्पसंख्यक वर्ग के 5 इस प्रकार कुल 95 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। दिसम्बर 2021 में घोषित राज्य सेवा मुख्य परीक्षा–2019 के परीक्षा परिणाम में केन्द्र से प्रशिक्षित साक्षात्कार हेतु चयनित हुये है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में पिछड़ा वर्ग हेतु रूपये 1.13 करोड़ एवं अल्पसंख्यक वर्ग हेतु राशि रूपये 24.61 लाख कुल राशि रूपये 1.37 करोड़ का आवंटन जारी किया गया था। जिसके विरूद्ध केन्द्र द्वारा माह दिसम्बर 2021 तक रूपये 75 लाख का व्यय हुआ है।

(4) **छात्रगृह योजनाः** –विभागीय छात्रावासों में स्थानाभाव के कारण प्रवेश से वंचित विद्यार्थियों, जो पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति एवं विभागीय छात्रावासों में प्रवेश की पात्रता रखते हों के लिए छात्रगृह योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के तहत् 2 या 2 से अधिक विद्यार्थियों को किराए के भवन में रहने पर भवन किराये की प्रतिपूर्ति निर्धारित दर से शासन द्वारा की जाती है। विभाग द्वारा तहसील, जिला एवं संभाग स्तर के छात्रगृहों हेतु किराए के भवन का मासिक किराया प्रति छात्र रूपये 1000/– की दर से निर्धारित किया है।

वर्ष 2018–19 में राशि रू. 100.80 लाख का प्रावधान किया गया था, जिसके विरूद्ध राशि रू. 60.00 लाख व्यय की जाकर 972 विद्यार्थियों को लाभांवित किया गया है। वर्ष 2019–20 में कुल राशि रू. 90.80 लाख का प्रावधान किया गया था जिसके विरूद्ध राशि रूपये 56.96 लाख व्यय किया जाकर कुल 917 विद्यार्थियों को लाभांवित किया गया है। गत वर्ष 2020–21 में राशि रूपये 90.80 लाख का प्रावधान किया गया था जिसके विरूद्ध राशि रूपये 73.76 लाख गत वर्ष के लंबित छात्रगृह किराया भुगतान करने पर व्यय की गई है । वित्तीय वर्ष 2021–22 में राशि रूपये 55.80 लाख का प्रावधान किया गया है। कोविड–19 के कारण छात्रगृहों का संचालन नहीं किया गया है ।

(5) म.प्र. रामजी महाजन पिछड़ा वर्ग सेवा राज्य पुरस्कार :–

पिछड़े वर्ग के उत्थान एवं विकास के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले पिछड़े वर्ग के समाजसेवियो को सम्मानित किये जाने हेतु यह पुरस्कार वर्ष 2001 से प्रारम्भ किये गये है। वर्ष 2008 से यह पुरस्कार पिछड़े वर्ग के 8 पुरूष एवं 8 महिलाओं को दिया जाता है। प्रत्येक समाजसेवी को रूपये एक लाख नगद एवं प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जाता है। वर्ष 2017–18 के लिए समाजसेवियों से आवेदन पत्र प्राप्त किये गये, चयन हेतु ज्यूरी का गठन किया गया है।

(6) महात्मा ज्योतिबा फुले पिछड़ा वर्ग सेवा राज्य पुरस्कारः–

यह पुरस्कार वित्तीय वर्ष 2016–17 से प्रारम्भ किया गया है। यह पुरस्कार प्रदेश के 01 पुरूष समाजसेवी को दिया जाता है, जिसके द्वारा पिछड़े वर्गों में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों, अंध विश्वास को दूर करने, सामाजिक समरसता एवं सामाजिक संगठन को सुदृढ़ करने हेतु उत्कृष्ट सेवा तथा साहित्य एवं कला का सृजन एवं प्रकाशन आदि कार्य किए हों। इस पुरस्कार से पुरस्कृत एक समाजसेवी को रूपये दो लाख नगद एवं प्रतीक चिन्ह से युक्त प्रशंसा पट्टिका प्रदान की जाती है। वर्ष 2017–18 के लिए समाज सेवियों से आवेदन प्राप्त किये गये, चयन हेतु ज्यूरी का गठन किया गया है।

(7) सावित्री बाई फुले पिछड़ा वर्ग सेवा राज्य पुरस्कारः–

यह पुरस्कार वित्तीय वर्ष 2016–17 से प्रारम्भ किया गया है। यह पुरस्कार प्रदेश के एक महिला समाजसेवी को दिया जाता है, जिसके द्वारा पिछड़े वर्ग की शिक्षा एवं महिला उत्थान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य, साहित्य एवं कला का सृजन एवं प्रकाशन किए हों। इस पुरस्कार के अंतर्गत रूपये दो लाख नगद एवं प्रतीक चिन्ह से युक्त प्रशंसा पट्टिका प्रदान की जाती है। वर्ष 2017–18 के लिए समाज सेवियों से आवेदन प्राप्त किये गये चयन हेतु ज्यूरी का गठन किया गया है।

बजट प्रावधान– मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग सेवा राज्य पुरस्कार योजना अंतर्गत स्व. रामजी महाजन स्मृति पुरस्कार, महात्मा ज्योतिबा फुले पिछड़ा वर्ग सेवा राज्य पुरस्कार, सावित्री बाई फुले पिछड़ा वर्ग सेवा राज्य पुरस्कार हेतु वित्तीय वर्ष 2021–22 में राशि रू. 13.46 लाख का बजट प्रावधान उपलब्ध है।

(8) राज्य एवं संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफलता पर प्रोत्साहनः–

इस योजना के तहत पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों द्वारा संघ लोक सेवा आयोग/राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं के विभिन्न चरणों में सफलता प्राप्त करने पर निम्न तालिका अनुसार प्रोत्साहन राशि स्वीकृत किए जाने का प्रावधान है :–

क्र.	विवरण	स्वीकृत की जाने वाली राशि रू. में	
		संघ लोक सेवा आयोग	राज्य लोक सेवा आयोग
1.	प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण होने पर	25000	15000
2.	मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण होने पर	50000	25000
3.	साक्षात्कार उपरांत चयन होने पर	25000	10000
	योगः	**100000**	**50000**

वर्ष 2019–20 में राशि रू. 136.40 लाख का प्रावधान किया गया है, जिसके विरूद्ध रू. 12.70 लाख व्यय किया जाकर कुल 60 अभ्यर्थियों को प्रोत्साहन राशि स्वीकृत कर वितरित की गई। गत वर्ष 2020–21 में राशि रू. 58.00 लाख का प्रावधान किया गया है जिसके विरूद्ध रू. 15.60 लाख व्यय की जाकर कुल 36 अभ्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि स्वीकृत कर वितरित की गई । वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021–22 में 40.00 लाख का प्रावधान किया गया है, जिसके विरूद्ध 31 दिसम्बर 2021 तक राशि रू. 25.60 लाख व्यय की जाकर 171 अभ्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि स्वीकृत कर वितरित की गई है।

(9) विदेश अध्ययन छात्रवृत्तिः–

पिछड़ा वर्ग के चयनित विद्यार्थियों को विदेशों स्नात्तकोत्तर पाठ्यक्रमों/शोध उपाधि (Ph.D) एवं शोध उपाधि) उपरांत कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रतिवर्ष 50 विद्यार्थियों को लाभान्वित करने का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2019–20 में राशि रू. 1300.00 लाख प्रावधान के विरूद्ध 35 विद्यार्थियों पर राशि रू.1274.65 लाख व्यय की गई। गत वर्ष 2020–21 में राशि रू.1800.00 लाख के प्रावधान के विरूद्ध राशि रू. 1359.65 लाख व्यय किये जाकर नवीन एवं नवीनीकरण सहित कुल 60 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021–22 में राशि रू.1200.00 लाख के विरूद्ध माह दिसंबर, 2021 तक राशि रू.1143.17 लाख की राशि व्यय कर नवीन एवं नवीनीकरण सहित कुल 43 विद्यार्थियों को लाभांवित किया गया है ।

(10) पिछड़े वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवक–युवतियों को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण योजना :–

योजना अंतर्गत शासकीय/अर्द्धशासकीय एवं निजी स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से प्रदेश के पिछड़े वर्ग के युवक–युवतियों को प्रदेश के सभी संभागीय मुख्यालयों पर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं का परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

वर्ष 2018–19 में कुल राशि रू. 6903.00 लाख का प्रावधान किया गया था जिसके विरूद्ध राशि रू. 6903.00 लाख व्यय किये जाकर कुल 20060 प्रशिक्षणार्थियों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया गया है। वर्ष 2019–20 में योजना अंतर्गत पिछड़ा वर्ग हेतु राशि रूपये 1500.00 लाख का प्रावधान किया गया था उक्त प्रावधानित राशि से वर्ष 2018–19 के लंबित भुगतानों को पूर्ण किया गया हैं। गत वर्ष 2020–21 में राशि रू. 15.00 करोड़ का बजट प्रावधान योजना अंतर्गत उपलब्ध कराया गया है। वर्तमान में कोविड–19 संक्रमण के कारण फिजीकल कोचिंग प्रारम्भ नहीं की जा सकी है। वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये योजना नियमों में बदलाव किये गये है। कोचिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम शीध्र ही प्रारम्भ किये जाना प्रक्रियाधीन है। योजना अंतर्गत उपलब्ध बजट प्रावधान अनुसार पिछड़ा वर्ग के 4000 प्रशिक्षणार्थियों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं का ऑफ लाईन प्रशिक्षण प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। वर्ष 2021–22 में राशि रू. 12.00 करोड़ का बजट प्रावधान उपलब्ध कराया गया है। योजना अंतर्गत पिछड़ा वर्ग के 6751 प्रशिक्षणार्थियों को विभिन्न रोजगारोंन्मुखी प्रतियोगी परीक्षाओं का ऑफ लाईन प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदेश में सभी 10 संभागीय मुख्यालयों पर संचालित किया जा रहा है।

(11) पिछड़ा वर्ग विद्यार्थी मेधावी छात्रवृत्तिः–

यह योजना वर्ष 2010 से लागू है। योजनांतर्गत 10 वीं बोर्ड में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले पिछड़ा वर्ग के मेधावी छात्र/छात्राओं को रूपये 5 हजार, 12 वीं के पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को 10 हजार का पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र 15 अगस्त, 26 जनवरी को जिला स्तरीय समारोह में दिया जाता है। वर्ष 2019–20 में राशि रूपये 15.28 लाख प्रावधान के विरूद्ध 13.90 लाख व्यय कर 185 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया। गत वित्तीय वर्ष 2020–21 में रू. 15.30 लाख के प्रावधान के विरूद्ध रू. 7.40 लाख व्यय कर 105 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021–22 में 15.00 लाख का प्रावधान रखा गया है तथा 204 विद्यार्थियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है ।

(12) व्यवसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा आयोजित परीक्षाओं में पिछड़े वर्ग के सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार योजनाः–

व्यवसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा आयोजित की गई पीईटी/पीपीटी एवं एमसीए की प्रवेश पूर्व परीक्षाओं में पिछड़े वर्ग के सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले पीईटी/पीपीटी एवं एमसीए छात्र–छात्राओं को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को क्रमशः रू. 1,00,000, रू. 50,000 एवं रू. 25,000 की राशि पुरस्कार में दिए जाने की व्यवस्था है। वर्ष 2019–20 में राशि रू. 1.75 लाख के बजट प्रावधान किया गया था जिसके विरूद्ध राशि रू. 1.75 लाख व्यय की जाकर 3 अभ्यर्थियों को प्रतिभा परीक्षा पुरस्कार राशि स्वीकृत कर वितरित की गई । गत वर्ष 2020–21 में राशि रू. 1.75 लाख का प्रावधान किया गया है । वर्ष 2020–21 में परीक्षा आयोजित नही हुई है । वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021–22 में राशि रू. 1.75 लाख का प्रावधान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में परीक्षा आयोजित नही हुई है।

3.1.2 केन्द्र प्रवर्तित योजनाएँ

(1) जिला स्तरीय पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक बालक छात्रावासः–

केन्द्र प्रवर्तित योजनांतर्गत प्रदेश के 51 जिलों में 100 सीटर पिछड़ा वर्ग पोस्टमैट्रिक बालक छात्रावास भवनों की स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2018–19 में जिला उज्जैन में अतिरिक्त रूप से एक 100 सीटर पिछड़ा वर्ग पोस्टमैट्रिक बालक छात्रावास स्वीकृत किया गया था, उक्त छात्रावास भवन का निर्माण कार्य पूर्णता की ओर है।

वर्ष 2018–19 में राशि रू. 570.00 लाख का प्रावधान किया गया था, जिसके विरूद्ध राशि रू. 351.83 लाख लोक निर्माण विभाग(पी.आई.यू.)को हस्तांतरित की गई जिसके विरूद्ध रूपये 68.26 लाख व्यय की गई है। वर्ष 2019–20 में राशि रू. 570.00 लाख का प्रावधान किया गया था जिसके विरूद्ध राशि रू. 25.35 लाख का व्यय किया गया है। वर्ष 2020–21 में राशि रू. 570.00 लाख का प्रावधान किया गया था जिसके विरूद्ध राशि रू. 100.14 लाख व्यय की गई है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021–22 में राशि रू.570.00 लाख का प्रावधान किया गया है। जिसके विरूद्ध राशि रूपये 39.40 लाख व्यय की गई है ।

(2) जिला स्तरीय पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक कन्या छात्रावास :–

केन्द्र प्रवर्तित योजनांतर्गत प्रदेश के 51 जिलों में पिछड़े वर्ग की अध्ययनरत् कन्याओं को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 50 सीटर पोस्टमैट्रिक कन्या छात्रावासों की स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त संभागीय मुख्यालय इन्दौर में 500 सीटर पोस्टमैट्रिक कन्या छात्रावास भवन का निर्माण कार्य पूर्ण होकर 29 जून,2019 को लोकार्पण किया गया है। जिला शाजापुर में भी 50 सीटर पोस्टमैट्रिक कन्या छात्रावास भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो कर

संचालित है। संभागीय मुख्यालय जबलपुर में 500 सीटर पोस्टमैट्रिक कन्या छात्रावास भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है। जिला दमोह में एक अतिरिक्त 100 सीटर पिछड़ा वर्ग पोस्टमैट्रिक कन्या छात्रावास भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। इसी प्रकार जिला उज्जैन में अतिरिक्त रूप से एक 100 सीटर पोस्टमैट्रिक कन्या छात्रावास स्वीकृत किया गया है। उक्त छात्रावास भवन का निर्माण कार्य द्वितीय तल स्तर तक हो गया है।

वर्ष 2018–19 में कुल राशि रूपये 2100.01 लाख प्रावधान किया गया था जिसके विरूद्ध कुल राशि रू. 1191.54 लाख लोक निर्माण विभाग (पी.आई.यू.) को हस्तांतरित की गई। लोक निर्माण विभाग द्वारा वर्ष 2018–19 में राशि रूपये 942.29 लाख व्यय की गई है। वर्ष 2019–20 में कुल राशि रूपये 2100.01 लाख का बजट प्रावधान किया गया था जिसके विरूद्ध राशि रूपये 352.26 लाख व्यय किया गया है। गत वर्ष 2020–21 में राशि रू. 1200.01 लाख का बजट प्रावधान किया गया है जिसके विरूद्ध राशि रू. 456.02 लाख व्यय की गई है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021–22 में राशि रू. 1200.01 लाख का प्रावधान किया गया है। जिसके विरूद्ध राशि रूपये 183.84 लाख व्यय की गई है ।

3.2 अल्पसंख्यक कल्याण योजनाएँ :–

भारत सरकार अल्पसख्यक कार्य मंत्रालय के माध्यम से संचालित योजनाये :–

(1) मेरिट कम मीन्स योजना :–

भारत सरकार द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग (मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन एवं पारसी) के निर्धन एवं प्रतिभावान विद्यार्थियों को तकनीकी एवं व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में शैक्षणिक उत्थान हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से मेरिट कम मीन्स योजना वर्ष 2007–08 से प्रारम्भ की गई है। इस योजना में अल्पसंख्यक वर्ग के ऐसे विद्यार्थियों जिनके प्राप्तांक 50 प्रतिशत या उससे अधिक हैं तथा स्वयं/माता–पिता/अभिभावक की वार्षिक आय 2.50 लाख से अधिक न हो को योजना का लाभ प्रदान किया जाता है। अल्पसंख्यक वर्ग के नवीन छात्रवृत्ति प्रकरण हेतु समुदायवार कोटा निर्धारित कर प्रत्येक समुदाय की 30 प्रतिशत सीट महिलाओं के लिए आरक्षित रखी गई है। योजनान्तर्गत छात्रावासी विद्यार्थियों को रू. 1000 एवं गैर छात्रावासी विद्यार्थियों को रू. 500 प्रतिमाह की दर से 10 माह तक अनुरक्षण भत्ता एवं पाठ्यक्रम शुल्क के रूप में वास्तविक शुल्क अथवा रू. 20000 जो भी कम हो, दिए जाने का प्रावधान है। भारत सरकार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा चिन्हित/अनुमोदित राष्ट्रीय स्तर की पात्र संस्थाओं में अध्ययनरत पात्र अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को पूरी पाठ्यक्रम फीस की प्रतिपूर्ति की जाती है। योजनांतर्गत भारत सरकार द्वारा विद्यार्थियों की मेरिट लिस्ट विद्यार्थियों द्वारा कुल प्राप्त अंकों के आधार पर बनाई जाती है ।

वर्ष 2019–20 में 2403 विद्यार्थियों के ऑनलाईन प्राप्त आवेदनों को भारत सरकार, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय नई दिल्ली ऑनलाईन स्वीकृति हेतु अग्रेषित किये जाकर कुल राशि रू. 6.42 करोड़ स्वीकृत कराये गये। गत वर्ष 2020–21 में 2204 विद्यार्थियों के ऑनलाईन प्राप्त आवेदनों को भारत सरकार, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय नई दिल्ली ऑनलाईन स्वीकृति हेतु अग्रेषित किये जाकर कुल राशि रू. 6.31 करोड़ स्वीकृत कराये गये। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021–22 में दिसम्बर, 2021 की स्थिति में 2311 विद्यार्थियों के ऑनलाईन प्राप्त आवेदनों को भारत सरकार, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय नई दिल्ली ऑनलाईन स्वीकृति हेतु अग्रेषित किया गया है ।

भारत सरकार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा छात्रवृत्ति राशि की स्वीकृति नियमानुसार एवं पात्रतानुसार दी जाकर स्वीकृत राशि का हस्तांतरण सीधे ऑनलाईन विद्यार्थियों के द्वारा उपलब्ध कराये गये एकल बैंक खातों में किया जाता है।

(2) पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना :–

अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना वर्ष 2007–08 से प्रारंभ की गई है। इस योजनान्तर्गत प्रदेश के लिए निर्धारित कोटे के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्ग (मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन एवं पारसी) के प्रतिभावान विद्यार्थियों को (जिनके प्राप्तांक 50% या उससे अधिक है तथा स्वयं/माता–पिता/अभिभावक की वार्षिक आय रू. 2.00 लाख से अधिक न हो) उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। योजना में अल्पसंख्यक वर्ग के नवीन छात्रवृत्ति प्रकरणों हेतु समुदायवार पृथक–पृथक कोटा निर्धारित है, जिसमें प्रत्येक समुदाय में 30 प्रतिशत सीट महिलाओं के लिए आरक्षित रखी गई है। योजनान्तर्गत कक्षा 11वीं, 12वीं को रू. 7,000 प्रतिवर्ष एवं कक्षा 11वीं, 12वीं के स्तर के तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के छात्रों हेतु रू. 10,000 प्रतिवर्ष तथा स्नातक एवं स्नातकोत्तर छात्रों हेतु रू. 3000 प्रतिवर्ष प्रवेश एवं ट्यूशन फीस दिए जाने का प्रावधान है। साथ ही कक्षा 11वीं एवं 12वीं के छात्रावासी विद्यार्थियों को रू. 380 प्रतिमाह एवं गैर छात्रावासी विद्यार्थियों को रू. 230 प्रतिमाह एवं स्नातक एवं स्नातकोत्तर छात्रावासी विद्यार्थियों को रू. 570 प्रतिमाह तथा गैर छात्रावासी विद्यार्थियों को रू. 300 प्रतिमाह तथा इसी प्रकार एम0 फिल0 एवं पी0एच0डी0 के छात्रावासी विद्यार्थियों को रू. 1200 प्रतिमाह तथा गैर छात्रावासी विद्यार्थियों को रू.550 प्रतिमाह देने का प्रावधान है। योजनांतर्गत भारत सरकार द्वारा विद्यार्थियों की मेरिट लिस्ट विद्यार्थियों के माता–पिता/अभिभावक की वार्षिक आय के आधार पर बनाई जाती है ।

वर्ष 2019–20 में 22,038 विद्यार्थियों के ऑनलाईन प्राप्त आवेदनों को भारत सरकार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय नई दिल्ली ऑनलाईन स्वीकृति हेतु अग्रेषित किये जाकर कुल राशि रू. 14.47 करोड़ स्वीकृत कराये गये। गत वर्ष 2020–21 में कुल 20,120 विद्यार्थियों के प्रस्ताव भारत सरकार, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को स्वीकृति हेतु अग्रेषित किये जाकर कुल राशि रू. 12.92 करोड़ स्वीकृत कराये गये। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021–22 में दिसम्बर, 2021 की स्थिति में कुल 20,037 विद्यार्थियों के प्रस्ताव भारत सरकार, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को स्वीकृति हेतु अग्रेषित किये गये।

भारत सरकार द्वारा छात्रवृत्ति राशि की स्वीकृति नियमानुसार एवं पात्रतानुसार दी जाकर स्वीकृत राशि का हस्तांतरण सीधे ऑनलाईन विद्यार्थियों के द्वारा उपलब्ध कराये गये एकल बैंक खातों में किया जाता है।

(3) प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति :–

भारत सरकार की इस योजना के तहत अल्पसंख्यक वर्ग के निर्धन परिवारों के कक्षा पहली से 10 वीं तक अध्ययनरत प्रति परिवार के अधिकतम दो बच्चों को शैक्षणिक उत्थान हेतु आर्थिक सहायता के रूप में विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत वार्षिक आय की मेरिट के आधार पर भारत सरकार द्वारा प्रदेश के लिए निर्धारित कोटे के अंतर्गत छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। पात्रता उन छात्र–छात्राओं को है जिनके माता–पिता/अभिभावक की वार्षिक आय रू. 1.00 लाख से अधिक न हो। अल्पसंख्यक वर्ग के नवीन छात्रवृत्ति प्रकरणों हेतु समुदायवार कोटा निर्धारित कर प्रत्येक समुदाय की 30 प्रतिशत सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है।योजनांतर्गत भारत सरकार द्वारा विद्यार्थियों की मेरिट लिस्ट विद्यार्थियों के माता–पिता/अभिभावक की वार्षिक आय के आधार पर बनाई जाती है ।

वर्ष 2019–20 में 1,37,269 विद्यार्थियों के ऑनलाईन प्राप्त आवेदनों को भारत सरकार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय नई दिल्ली ऑनलाईन स्वीकृति हेतु अग्रेषित किये जाकर कुल राशि रू. 41.54 करोड़ स्वीकृत कराये गये। गत वर्ष 2020–21 में कुल 1,15,687 विद्यार्थियों के प्रस्ताव भारत सरकार, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को स्वीकृति हेतु अग्रेषित किये जाकर कुल राशि रू. 37.31 करोड़ स्वीकृत कराये गये। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021–22 में दिसम्बर, 2021 की स्थिति में कुल 1,48,894 विद्यार्थियों के प्रस्ताव भारत सरकार, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को स्वीकृति हेतु अग्रेषित किये गये।

भारत सरकार, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा छात्रवृत्ति राशि की स्वीकृति नियमानुसार एवं पात्रतानुसार दी जाकर स्वीकृत राशि का हस्तांतरण सीधे ऑनलाईन विद्यार्थियों के द्वारा उपलब्ध कराये गये एकल बैंक खातों में किया जाता है।

3.2.1 भारत सरकार की केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाः–

भारत सरकार की केन्द्र प्रवर्तित योजना प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम योजनाः–

भारत सरकार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम योजना संचालित है। योजना अंतर्गत 60 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 40 प्रतिशत राज्यांश का प्रावधान है। भारत सरकार द्वारा राज्य की चार परियोजनाओं के लिए राशि रूपये 358.33 करोड़ की स्वीकृति जारी की गई है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021–22 में राशि रूपये 7800.00 लाख का प्रावधान किया गया था। जिसके विरूद्ध राशि रूपये 6196.30 लाख निर्माण एजेंसियों को जारी की गई । निर्माण एजेंसियों द्वारा राशि रूपये 454.99 लाख व्यय की गई है। विवरण निम्नानुसार हैः–

(राशि रूपये लाख में)

क्र.	जिला	परियोजना का नाम	परियोजना लागत	केन्द्रांश	राज्यांश	भारत सरकार द्वारा जारी प्रथम किस्त
1.	भोपाल	आवासीय विद्यालय, आरिफ नगर, भोपाल	3600.00	2160.00	1440.00	1080.00
2.	भोपाल	गांधी मेडिकल कॉलेज का उन्नयन	31696.00	19017.60	12678.40	9508.80
3.	भोपाल	शासकीय यूनानी कॉलेज में 180 सीटर कन्या छात्रावास का निर्माण	516.00	309.60	206.40	154.80
4.	खण्डवा	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज खण्डवा में स्मार्ट क्लॉस का निर्माण	21.04	12.62	8.42	6.31
		योगः–	**35833.04**	**21499.82**	**14333.22**	**10749.91**

3.2.2. राज्य योजनाएँ :–

1 मध्यप्रदेश अल्पसंख्यक सेवा राज्य पुरस्कार योजना :–

अल्पसंख्यक समुदाय के विकास एवं कल्याण के क्षेत्र में संलग्न सामाजिक संस्थाऐं एवं व्यक्तियों को उनकी उत्कृष्ठ सामाजिक एवं राष्ट्रीय सेवाओं और योगदान को प्रोत्साहित करने के उद्धेश्य से राज्य शासन द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्तियों को तीन मध्यप्रदेश अल्पसंख्यक सेवा राज्य पुरस्कार देने की योजना वित्तीय वर्ष 2011–12 से प्रारम्भ की है। पुरस्कार स्वरूप रुपये 1 लाख नगद एवं प्रतीक चिन्ह से युक्त प्रशंसा पट्टिका प्रदान की जाती है। तीन पुरस्कारों का विवरण निम्नानुसार हैः–

(1) **शहीद असफाक उल्लाह खां पुरस्कार** :–अल्पसंख्यक वर्ग की उत्कृष्ट समाज सेवा में योगदान के लिए ।

(2) **शहीद हमीद खां पुरस्कार** :–राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता, सामाजिक सद्भाव बढ़ानें वीरता एवं नागरिकों की सुरक्षा के लिए अदम्य साहस का परिचय देने के लिए।

(3) **मौलाना अबुल कलाम आजाद पुरस्कार**:–साहित्य, कला, रंगकर्मी एवं शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु ।

बजट प्रावधान – मध्यप्रदेश अल्पसंख्यक सेवा राज्य पुरस्कार योजना अंतर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021–22 में राशि रूपये 46.38 लाख का बजट प्रावधान उपलब्ध है।

2 अल्पसंख्यक वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवक–युवतियों को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण योजना :–

योजना अंतर्गत शासकीय/अर्द्धशासकीय एवं निजी स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से प्रदेश के अल्पसंख्यक वर्ग के युवक–युवतियों को प्रदेश के सभी संभागीय मुख्यालयों पर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं का परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

वर्ष 2018–19 में कुल राशि रू. 500.00 लाख का प्रावधान किया गया था, जिसके विरूद्ध राशि रू. 500.00 लाख व्यय किये जाकर कुल 1446 प्रशिक्षणार्थियों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया गया। वर्ष 2019–20 में योजना अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्ग हेतु राशि रू. 454.00 लाख का प्रावधान किया गया था परन्तु उक्त वर्ष में पात्र संस्थाओं का चयन न होने से राशि समर्पित कर दी गई थी। गत वित्तीय वर्ष 2020–21 में राशि रू. 1.45 करोड़ का बजट प्रावधान योजना अंतर्गत उपलब्ध कराया गया है। वर्तमान में कोविड–19 संक्रमण के कारण फिजीकल कोचिंग प्रारम्भ नहीं की जा सकी है। वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये योजना नियमों में बदलाव किये गये है तथा कोचिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम शीध्र ही प्रारम्भ किये जा रहे है। योजनांतर्गत उपलब्ध बजट प्रावधान अनुसार अल्पसंख्यक वर्ग के 500 प्रशिक्षणार्थियों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं का ऑफ लाईन प्रशिक्षण प्रदान किया जाना प्रस्तावित हैं। वित्तीय वर्ष 2021–22 में योजना अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्ग हेतु राशि रू. 54.66 लाख का बजट प्रावधान उपलब्ध कराया गया है। योजना अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्ग के 291 प्रशिक्षणार्थियों को विभिन्न रोजगारोंन्मुखी प्रतियोगी परीक्षाओं का ऑफ लाईन प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदेश में सभी 10 संभागीय मुख्यालयों पर संचालित किया जा रहा है।

3.3 अभिनव योजनाएं

- संभागीय मुख्यालय इन्दौर, जबलपुर, भोपाल एवं ग्वालियर में भारत सरकार की केन्द्र प्रवर्तित योजना अन्तर्गत 500 सीटर कन्या छात्रावास भवन का निर्माण कार्य कराया जाना है, जिसमें से इन्दौर में 500 सीटर कन्या छात्रावास भवन निर्माण का कार्य पूर्ण किया जाकर दिनांक 29 जून,2019 को कन्या छात्रावास भवन का लोकार्पण किया गया है तथा जबलपुर में 500 सीटर कन्या छात्रावास भवन का निर्माण कार्य पूर्णता की ओर है ।

भाग–4

विभाग द्वारा संचालित आयोग/निगम/उपक्रम/संस्थाएं

4.1 म0प्र0 राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठनः–

म.प्र. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1995 के अंतर्गत गठित है।

मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1995 में संशोधन कर **''मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) अधिनियम 2021''** दिनांक 03 अप्रैल 2021 को राजपत्र में प्रकाशित किया गया है।

मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) अधिनियम 2021 की कंडिका 3 अनुसार आयोग में पांच अशासकीय सदस्यों का प्रावधान है। दिसम्बर 2021 की स्थिति में म.प्र. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में सभी अशासकीय सदस्यों के पद रिक्त हैं।

संशोधन अधिनियम के द्वारा मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1995 की कंडिका क्रमांक 2,3 एवं 9 में संशोधन किया गया है ।

4.1.1 आयोग के कृत्य :–

अधिनियम की धारा 9(1) के अनुसार–

(क) पिछड़े वर्गो के सदस्यों को संविधान के अधीन तथा तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के अधीन दिये गये संरक्षण के लिये हितप्रहरी आयोग के रूप में कार्य करना और पिछड़ा वर्गो के अधिकारों एवं रक्षोपायों से वंचित किए जाने से संबंधित शिकायतों की जांच करना।

(ख) पिछड़े वर्गो के कल्याण के लिये बने कार्यक्रमों के समुचित तथा यथा समय कार्यान्वयन की निगरानी करें तथा राज्य सरकार अथवा किसी अन्य निकाय या प्राधिकरण के कार्यक्रमों के संबंध में, जो ऐसे कार्यक्रमों के लिए जिम्मेदार है, सुधार हेतु सुझाव दें।

(ग) लोक सेवा तथा शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिये पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण के संबंध में सलाह दें।

(घ) पदों पर नियुक्तियों के आरक्षण का उपबंध करने के प्रयोजनों के लिये राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर तैयार की गई सूचियों में किसी भी नागरिक को पिछड़ा वर्ग के रूप में सम्मिलित करने की प्रार्थनाओं का परीक्षण करना और ऐसी सूचियों में किसी पिछड़े वर्ग को पात्र न होने पर भी सम्मिलित करने या पात्र होने पर भी सम्मिलित न करने की शिकायतों को सुने और राज्य सरकार को ऐसी सलाह दें जैसी कि वह उचित समझें।

(ड़) पिछड़े वर्ग में सम्पन्न वर्ग (क्रीमीलेयर) के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति या समूह के प्रवर्ग सुनिश्चित करें।

(च) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करें जो राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपे जाए।

अधिनियम की धारा 9(2) के अनुसार राज्य सरकार पिछड़े वर्गो को प्रभावित करने वाले सभी मुख्य नीति विषयक मामलों पर आयोग से परामर्श करेगी।

4.1.2. आयोग की शक्तियांः–

अधिनियम की धारा 10 अनुसार आयोग को धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन अपने कृत्यों का पालन करते समय और विशिष्टतया निम्नलिखित विषयों को बाबत् किसी वाद का विचारण करने वाले किसी सिविल न्यायलय की सभी शक्तियां होंगी, अर्थात–

(क) राज्य के किसी भी भाग से किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना।

(ख) किसी दस्तावेज को प्रकट करते और पेश करने की अपेक्षा करना।
(ग) शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना।
(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतिलिपि की अध्यपेक्षा करना।
(ड.) साक्षियों और दस्तावेज की परीक्षा के लिये कमीशन निकालनाः और
(च) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाए ।

4.1.3. आयोग के द्वारा किए गये कार्य :–

वित्तीय वर्ष 2021–22 में माह दिसम्बर, 2021 तक कोई बैठक आयोजित नहीं हुई है। दिनांक 01–04–2021 से 31–12–2021 तक कुल 44 शिकायतें आयोग को प्राप्त हुई हैं तथा शिकायतें संबंधित अधिकारियों/विभागों को कार्यवाही हेतु प्रेषित की गई है ।
बजटः–वित्तीय वर्ष 2021–22 में आयोग के कार्यो के लिए रूपये 163.65 लाख का आवंटन दिया गया था जिसके विरूद्ध 31.12.2021 तक रूपये 77.24 लाख का व्यय किया गया ।

4.2 म0प्र0 राज्य अल्पसंख्यक आयोग :–

मध्यप्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम,1996, के अंतर्गत गठित है। आयोग का मुख्यालय भोपाल है।

म.प्र.राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1996 की धारा 3(1) के अनुसार आयोग में एक अध्यक्ष और चार सदस्यों का प्रावधान हैं, जिनका कार्यकाल तीन वर्ष होता है।

4.2.1 आयोग का दायित्व :–

- **अधिनियम की धारा 9(1) के अंतर्गत–**

(क) राज्य के अधीन अल्पसंख्यकों के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना।
(ख) संविधान में और संसद तथा राज्य विधान मंडल द्वारा अधिनियमित विधियों में उपबंधित रक्षोपायों के कार्य को मॉनिटर करना।
(ग) राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षा के लिए रक्षोपायों के प्रभावी कार्यन्वयन के लिए सिफारिशें करना ।
(घ) अल्पसंख्यकों को उनके अधिकारों और रक्षोपायों से वंचित करने के बारे में विनिर्दिष्ट शिकायतों की जांच पड़ताल करना और ऐसे मामलों को राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन समुचित प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करना।
(ड़) अल्पसंख्यकों के विरूद्ध किसी विभेद के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं का अध्ययन करवाना और उनको दूर करने के लिए अधिउपायों की सिफारिश करना।
(च) अल्पसंख्यकों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास से संबंधित विषयों का अध्ययन, अनुसंधान और विश्लेषण करना।
(छ) किसी अल्पसंसख्यक समुदाय के संबंध में ऐसे समुचित अधिउपायों का सुझाव देना जो राज्य सरकार द्वारा किए जाने चाहिए।
(ज) अल्पसंख्यकों से संबंधित किसी विषय पर और विशिष्टतया उन कठिनाइयों पर, जिनका उन्हें सामना करना पड़ता है राज्य सरकार को नियतकालिक या विशेष रिर्पोट देना।
(झ) कोई अन्य विषय जो राज्य सरकार द्वारा उसे निर्दिष्ट किया जाए, परन्तु यदि आयोग द्वारा की गई कोई सिफारिश राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग द्वारा मध्यप्रदेश राज्य से संबधित किसी मामले पर की गई सिफारिश के विरूद्ध है तो उस दशा में राज्य आयोग द्वारा की गई सिफारिश अभिभावी होगी।

- **अधिनियम की धारा 9(1) के अंतर्गत–**

आयोग को उपधारा (1) के उपखण्ड (ख) और (घ) में वर्णित कृत्यों में से किसी का पालन करते समय और विशिष्टतया निम्नलिखित विषयों की बाबत किसी वाद का विचारण करने वाली सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी, अर्थात्–

(क) राज्य के किसी भी भाग से किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना।

(ख) किसी दस्तावेज को प्रकट और पेश करने की अपेक्षा करना।

(ग) शपथपत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना।

(घ) किसी कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतिलिपि की अध्यपेक्षा करना।

(ड.) साक्षियों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना।

(च) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाये।

4.2.2 आयोग के द्वारा किए गए कार्य :–

मध्यप्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग में वित्तीय वर्ष 2021–22 में दिसम्बर,2021 की स्थिति में प्राप्त 412 शिकायतों में से 105 शिकायतें संबंधित विभाग को प्रेषित की जा चुकी है। शेष 37 शिकायत प्रेषित करने की कार्यवाही की जा रही है ।

मध्यप्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग में जुलाई–अगस्त 2020 से अध्यक्ष एवं सदस्यों के पद रिक्त हैं।

4.2.3 आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन – मध्यप्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन 2020–21 दिनांक 24 दिसम्बर,2021 को विधानसभा के पटल पर रखा गया है।

बजटः–

वित्तीय वर्ष 2021–22 में आवंटित कुल बजट राशि रूपये 1 करोड़,60 लाख, 74 हजार का बजट प्रावधान हुआ है,जिसके विरूद्ध 31 दिसम्बर 2021 तक राशि रूपये 53.29 लाख व्यय की गई है।

4.3 मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम, भोपालः–

4.3.1 निगम की स्थापना एवं उद्धेश्यः–

मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम का गठन वर्ष 1994 में कंपनी अधिनियम–1956 की धारा–25 के अंतर्गत हुआ है जिसका पंजीयन प्रमाण पत्र क्र. 10–08670 दिनांक 29–09–1994 है। निगम एक अलाभकारी संस्था के रूप में कार्य कर रहा है।

4.3.2 निगम की प्रशासकीय संरचना :–

वर्तमान में निगम में कुल 23 पद स्वीकृत है, जिसके विरूद्ध 14 नियमित अधिकारी/कर्मचारी एवं 02 कर्मचारी आउटसोर्सिंग पर कार्यरत है। कुल 16 अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत है। निगम के संचालक मण्डल में 11 सदस्य है। जिसमें 09 शासकीय सदस्य एवं 02 अशासकीय (अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष) है।

4.3.3 राष्ट्रीय निगमों की जानकारी – राष्ट्रीय निगमों से वर्ष 1995 से 2008 तक प्राप्त कुल ऋण राशि रू. 4879.08 लाख प्राप्त हुआ जिसके विरूद्ध 13007 हितग्राहियों को लाभांवित किया

गया है। अब तक राष्ट्रीय निगमों को राशि रू. 2328.75 लाख भुगतान की जा चुकी है। जो कि वसूली राशि का 47.73 प्रतिशत है।

मंत्री–परिषद की स्वीकृति अनुसार राष्ट्रीय निगमों की समझौता योजनांतर्गत 5 प्रतिशत दाण्डिक ब्याज की छूट प्राप्त कर राज्य सरकार द्वारा निगम को ऋण के रूप में राशि रूपये 36.00 करोड़ उपलब्ध कराकर राष्ट्रीय निगमों की भुगतान की जाने वाली ओव्हरड्यू राशि (मूलधन एवं ब्याज) का जुलाई,2014 तक चार किश्तों में भुगतान किया जावें। उक्त के परिपेक्ष्य में चार किस्तों में राशि रूपये 3558.18 लाख प्राप्त हुये हैं, जिसमें निगम द्वारा वसूली की राशि मिलाकर कुल राशि रू. 36.00 करोड़ का भुगतान दिनांक 30–9–2015 को किया जा चुका है। राष्ट्रीय निगमों की ओवरड्यू राशि का भुगतान करने के पश्चात दिनांक 1–4–2012 के पश्चात राष्ट्रीय निगमों की शेष अतिदेय राशि रू. 447.98 लाख का भुगतान किया गया। वर्तमान में राष्ट्रीय निगमों को कोई भी राशि देना शेष नहीं है। निगम द्वारा राज्य शासन से प्राप्त ऋण के विरूद्ध वसूली के रूप में राशि रू. 98.59 लाख राज्य शासन के खातें में जमा किया गया हैं। (31 दिसम्बर,2019 की स्थिति में)

4.3.4. राष्ट्रीय निगमों की योजनाएं :–

वर्तमान में राष्ट्रीय निगमों को वर्ष 2008–09 से कोई एक्शन–प्लान प्रेषित नही किया गया है। अतः राष्ट्रीय निगमों की किसी योजना का संचालन नही किया जा रहा है।

4.3.5 वर्तमान में निगम द्वारा संचालित योजनाएं एवं उपलब्धियॉ–विभाग द्वारा संचालित पिछड़ा वर्ग /अल्पसंख्यक वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवक–युवतियों को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण योजना का क्रियान्वयन वर्ष 2018–19 में निगम के माध्यम से किया गया है। वर्ष 2019–20 एवं 2020–21 में प्रशिक्षण योजना में निगम को कोई भी राशि प्राप्त नही है। राज्य शासन की मुख्यमंत्री पिछड़ा /अल्पसंख्यक वर्ग स्वरोजगार योजना अंतर्गत वर्ष 2012–13 से वर्ष 2016–17 तक संचालन किया गया है। वर्ष 2021–22 में निगम कार्यालय में कोई भी योजना का संचालन नहीं किया जा रहा है।

4.3.6 वर्तमान में राष्ट्रीय निगमों की योजनाओं का पुनः संचालन करना –

निगम द्वारा राष्ट्रीय निगमों की योजनाओं के पुनः संचालन हेतु प्रस्ताव राष्ट्रीय निगम नई दिल्ली को भेजा गया, जिसमें राष्ट्रीय निगमों द्वारा बताया गया है कि मध्यप्रदेश शासन से मिलने वाली शासकीय प्रत्याभूति की अवधि वर्ष 2013 में समाप्त हो चुकी है। उक्त शासकीय प्रत्याभूति के प्राप्त होने पर ही राष्ट्रीय निगमों की योजनाओं का संचालन एवं राशि का आवंटन किया जावेगा। शासकीय प्रत्याभूति प्राप्त करने के संबंध में विभाग को पत्र लिखा गया है।

4.3.6 निगम के लेखों से संबंधित जानकारीः–

1. निगम के वर्ष 2010–11 अंकेक्षित लेखों एवं उस पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक से प्राप्त टिप्पणियों को जुलाई,2019 के विधानसभा सत्र में विधानसभा पटल पर रखा जा चुका है।
2. निगम वर्ष 2016–17 तक का आय–व्यय को अंकेक्षण महालेखाकार ग्वालियर द्वारा किया जा चुका है। वर्ष 2017–18 से वर्ष 2002–21 के आय–व्यय अंकेक्षण हेतु महालेखाकार ग्वालियर को पत्र लिखे गये है।
3. वर्ष 2011–12 के अंकेक्षित लेखों को अंकेक्षण महालेखाकार ग्वालियर द्वारा किया जा रहा है।

4. निगम के वर्ष 2012–13 एवं वर्ष 2013–14 के प्रावधिक लेखे तैयार होकर निगम को प्राप्त हो चुके है।
5. निगम के वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 के प्रावधिक लेखों को तैयार करने का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है।
6. निगम के वर्ष 2016–17 से वर्ष 2020–21 के लेखों को पूर्ण करने हेतु जिलों से जानकारी प्राप्त करने हेतु पत्र लिखा जा चुका है। जानकारी प्राप्त होते ही प्रावधिक लेखे पूर्ण कर लिये जायेंगे।

4.3.7 बजट :–निगम को वर्ष 2021–22 में स्थापना अनुदान एवं अन्य किसी भी योजना में राशि का आवंटन नहीं किया गया है।

4.4 मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड :–

4.4.1 बोर्ड का गठन एवं उद्धेश्य:– मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड राज्य की समस्त वक्फ संपत्तियों के अनुरक्षण नियंत्रण और प्रशासन का कार्य करता है। वक्फ (संशोधन) अधिनियम,2013, 1 नवम्बर,2013 से लागू किया गया है। पूर्व में गठित बोर्ड का कार्यकाल दिसम्बर,2018 में समाप्त होने के उपरान्त शासन द्वारा प्रशासक की नियुक्ति की गई है। धारा–23 के अंतर्गत मुख्य कार्यपालन अधिकारी कार्यरत है। मध्यप्रदेश में स्थित वक्फों के प्रबंध, सुरक्षा एवं विकास के कार्यो को संचालित करने के उद्धेश्य से बोर्ड की सहायता हेतु वक्फ अधिनियम की धारा–24 के अंतर्गत अधिकारी/कर्मचारी नियुक्त हैं।

म0प्र0 वक्फ बोर्ड के अंतर्गत वामसी रिकार्ड अनुसार प्रदेश भर में लगभग 14949 वक्फ एस्टेट्स एवं 31032 वक्फ सम्पत्तियां पंजीकृत एवं राजपत्रित हैं, जिनमें लगभग 5778 कब्रस्तान, 4648 मस्जिदें, 3689 दरगाहें, 613 ईदगाह, 50 स्कूल, 47 दारूल उमूल/मदरसे, 55 मुसाफिरखाना, 4362 दुकानें, 5611 मकानात एवं अन्य वक्फ सम्पत्तियां सम्मिलित है, साथ ही वक्फ कृषि भूमियों की संख्या 1791 है जिनका क्षेत्रफल लगभग 5791.143 हैक्टेयर है।

4.4.2 वक्फ बोर्ड की योजनाएँ :–वक्फ बोर्ड के द्वारा वक्फों की सुरक्षा, उन्नति एवं विकास के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं :–

(1) वक्फिया जायदादों पर निर्माण कार्य, जैसे स्थानीय आवश्यकता अनुसार शॉपिंग काम्प्लेक्स, सामुदायिक भवन, मुसाफिर खाना, इत्यादि का निर्माण करना।
(2) छात्रवृत्ति एवं मेरिट अवार्ड प्रदान किया जाना ।
(3) केन्द्र शासन अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित वक्फ रिकार्ड कम्प्यूटराईजेशन का कार्य।
(4) भारत सरकार, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित वक्फ बोर्ड के सशक्तिकरण से संबंधित कार्य।
(5) भारत सरकार, केन्द्रीय वक्फ परिषद एवं राष्ट्रीय वक्फ विकास निगम, प्रधानमंत्री जन विकास योजना कार्यक्रम भारत सरकार, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय दिल्ली द्वारा संचालित शहरी विकास योजना के अंतर्गत वक्फ सम्पत्तियों को विकसित किया जाना।
(6) प्रदेश भर में स्थापित समस्त वक्फिया जायदादों का जी.पी.एस./जी.आई.एस. करना एवं आर.ओ.आर. दस्तावेजात का डिजिटिलाईजेशन कराना।

4.4.3. वक्फ बोर्ड की उपलब्धियां :–

1. वक्फ जायदादों पर अवैध अतिक्रमण की शिकायतों पर बोर्ड द्वारा वक्फ अधिनियम 1995 की धारा–54 के अंतर्गत कार्यवाही की जा रही है। विगत वर्षों में 4783 प्रकरण दर्ज किये गये है।

इनमें से 4347 की सुनवाई कर निराकृत किये गये एवं 157 प्रकरण धारा 54(4) के तहत वक्त अधिकरण को भेजे गये। जबकि अतिक्रमण मुक्त करने हेतु 369 प्रकरण संबंधित एसडीएम को भेजे गये है। केवल 09 प्रकरणों में नाजायज कब्जा हटाया जाकर संबंधित वक्फ प्रबंधक को दिलाया गया है। 288 प्रकरण लंबित हैं।

2. भारत सरकार, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय दिल्ली की कौमी राज्य वक्फ बोर्ड तरक्कयाती योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड समस्त वक्फिया सम्पत्तियों का समय सीमा में जी.पी.एस एवं जी.आई.एस. कराया जा रहा है। वर्तमान में अधिकृत एजेन्सी द्वारा लगभग 15 जिलों की 10139 वक्फ सम्पत्तियों के जी.पी.एस. कोआर्डिनेट एकत्रित कर जी.आई. एस. मेपिंग कराई गई है जो वामसी ऑन लाईन www.wamsi.nic.in पर उपलब्ध है।

3. वामसी रजिस्ट्रेशन माडयूल में 14949 (वक्फ स्टेट्स) एवं 31032 वक्फ सम्पत्तियों के रिकार्ड मस्जिद, दरगाह, कब्रिस्तान आदि के रूप में एन्ट्री की जा चुकी है, इसके अतिरिक्त 237 चल सम्पत्तियां फीड की गई हैं। केन्द्रीय सरकार, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा दिये गये अन्य माडयूल्स जैसे लीजिंग माडयूल में 134, रिटर्न फाइलिंग माडयूल में 9297 एवं लिटीगेशन मॉड्यूल में 4813 (internal+ external case) प्रकरणों की जानकारी फीड की जा चुकी है।

4. बोर्ड द्वारा उपरोक्त वक्फों के प्रबंध हेतु कमेटियों के गठन कार्य में गति लाई गई तथा कार्यालय द्वारा जिला वक्फ कमेटियों के गठन की प्रक्रिया को आसान करते हुए लगभग 36 जिलों में जिला वक्फ कमेटियों का गठन कर दिया गया है, जिससे वक्फिया सम्पत्तियों की सुरक्षा होने के साथ ही वक्फ की आय में काफी वृद्धि हो रही है।

5. वक्फ अधिनियम में संशोधन के फलस्वरूप वक्फ सम्पत्तियों की किराएदारी को पारदर्शी बनाने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा वक्फ पट्टा नियम 2014 (संशोधित–2020) बनाये गये हैं जिसके अनुसार कार्य करने हेतु संबंधित मुतवल्लियों को पाबंद किया गया है।

6. मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड ने अपनी कार्य प्रणाली में सुधार एवं पारदर्शिता लाते हुए सभी उर्स मेलों एवं दीगर वक्फ सम्पत्तियों को खुले बाजार में स्पर्धा करते हुए नीलामी की कार्यवाही की। जिसके फलस्वरूप वक्फ की आय में भारी वृद्धि हुई। पूर्व में जो आय नाम मात्र थी जो वर्तमान में लाखों में है।

7. प्रदेश में कई वक्फ सम्पत्तियॉ जो राजस्व रिकार्ड में किसी अन्य के नाम नामान्तरण हो गई थी, वापस वक्फ सम्पत्ति के रूप में राजस्व रिकार्ड में वक्फ दर्ज कराई गई है।

8. पूर्व में कई वक्फ सम्पत्तियॉ अनाधिकृत तरीके से विक्रय हो गई थी, उनकी रजिस्ट्री निरस्त कर वापस वक्फ भूमि इन्द्राज कराई गई।

9. उच्च स्तरीय तालीम के क्षेत्र में एक बड़ी पहल– वक्फ बोर्ड द्वारा मुस्लिम बच्चों में तालीमी बेदारी लाने, उन्हें समक्ष बनाने एवं शासकीय कार्य के संचालन में योगदान देने योग्य बनाने के लिये मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड ने जकात फाउण्डेशन आफ इण्डिया के साथ मिलकर आई.ए.एस., आई.पी.एस. आदि की तैयारी के लिए उच्च स्तर की निःशुल्क कोचिंग क्लासेस उपलब्ध कराने हेतु बड़ी पहल की है।

10 रीजनल कार्यालय वक्फ बोर्ड की स्थापना एवं सशक्तिकरण –भारत सरकार, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय नई दिल्ली की रिवाईज्ड कौमी राज्य वक्फ बोर्ड तरक्कयाती स्कीम के अंतर्गत सशक्तिकरण विशेष कर वक्फ रिकार्ड कम्प्यूटराईजेशन एवं ऑनलाइन सेवाएं देने का कार्य किया जा रहा है।

11. गत वर्षो में म.प्र.शासन,राजस्व विभाग द्वारा आयुक्त भू–अभिलेख एवं बन्दोबस्त,ग्वालियर के माध्यम से पूरे प्रदेश में भू–अभिलेखों का कम्प्यूटरीकृत कार्य कराया गया।

4.4.4 बजट :–राज्य शासन द्वारा वक्फ बोर्ड को वार्षिक अनुदान दिया जाता है। वर्ष 2019–20 में प्रावधान राशि रूपये 325.00 लाख था जिसके विरूद्ध राशि रूपये 378.75 लाख का व्यय किया गया है। वर्ष 2020–21 में प्रावधान राशि रू. 300.00 लाख का था जिसके विरूद्ध राशि रूपये 220.00 लाख का व्यय किया गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021–22 में प्रावधान राशि रूपये 380.00 लाख है।

म0प्र0 वक्फ बोर्ड को चंदा निगरानी के रूप में 31/12/2021 की स्थिति में राशि रू. 77,95,505 प्राप्त हुए है एवं अन्य स्त्रोतों से राशि रूपये 10,55,415 इस प्रकार कुल राशि रूपये 88,50,920 की आय प्राप्त हुई।

4.5 सर्वे वक्फ आयुक्तः–

सर्वे वक्फ आयुक्त ,राज्य में विद्यमान वक्फ संपत्तियों के सर्वेक्षण, राज्य में स्थित वक्फों की संख्या, वक्फों का स्वरूप, उनके उद्धेश्य, वक्फ में समाविष्ट संपत्तियों की सकल आय की रिपोर्ट का कार्य कर राज्य शासन को रिपोर्ट देता है। वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 4(1) के द्वारा आयुक्त पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण को पदेन सर्वे वक्फ आयुक्त घोषित किया गया है। प्रदेश में स्थित वक्फ संपत्तियों का द्वितीय सर्वे में अब तक 16 जिलों की सर्वे रिपोर्ट जिला कलेक्टर (अपर सर्वे वक्फ कमिश्नर) से प्राप्त हुई है जिनका परीक्षण कार्य चल रहा है।
बजटः– वर्ष 2018–19 में राशि रू. 4.12 लाख का प्रावधान किया गया था, जिसके विरूद्ध राशि रू. 3.34 लाख व्यय किये गये हैं। वर्ष 2019–2020 में राशि रू. 7.09 लाख का प्रावधान किया गया था, जिसके विरूद्ध राशि रू. 3.42 लाख व्यय किये गये है। गत वर्ष 2020–21 में राशि रू. 7.20 लाख का प्रावधान किया गया है, जिसके विरूद्ध दिसम्बर, 2020 तक राशि रूपये 3.09 लाख व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में राशि रू. 7.10 लाख का प्रावधान किया गया है, जिसके विरूद्ध दिसम्बर, 2021 तक राशि रूपये 1.94 लाख व्यय किया गया है।

4.6 मध्यप्रदेश राज्य हज कमेटी :–

4.6.1 हज कमेटी का गठन एवं कार्य :– मध्यप्रदेश राज्य हज कमेटी का गठन हज अधिनियम 2002 (क्र. 35) की धारा 17(1) के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा किया गया है। मध्य प्रदेश राज्य हज कमेटी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत हज कमेटी ऑफ इण्डिया, मुम्बई एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अधीनस्थ कार्य करती है। तत्कालीन कमेटी का कार्यकाल दिनांक 04–08–2017 को समाप्त हो चुका है । दिनांक 19–01–2019 को नवीन मध्यप्रदेश राज्य हज कमेटी का गठन राज्य शासन द्वारा किया गया था । प्रतिवर्ष प्रदेश से हज के लिए जाने वाले यात्रियों को भेजने एवं समस्त व्यवस्थाओं का उत्तरदायित्व इस कमेटी का होता है।

4.6.2 हज वर्ष 2019 में प्रदेश से 5875+10 हज यात्री हज पर भेजे गए तथा हज यात्रियों की सहायता हेतु 19 खादिमुल हुज्जाजों (हज सेवक) को सऊदी अरब भेजा गया। कोविड–19 के कारण हज–2020 एवं हज–2021 के लिए भारत वर्ष के हज यात्री हज यात्रा पर नहीं जा सके। हज कमेटी ऑफ इंडिया द्वारा जारी दिशा–निर्देशानुसार हज–2022 हज आवेदन करने की अंतिम तिथि 31–01–2022 निर्धारित की गई है। हज–2022 हेतु दिनांक 31–12–2021 तक मध्य प्रदेश के हज आवेदकों से ऑनलाइन कुल 1295 हज आवेदन प्राप्त हुए जिसमें से

1200 हज आवेदनों का परीक्षण पश्चात कवर नम्बर आवंटित कर संबंधित हज आवेदकों को उपलब्ध कराये जा चुके हैं।

4.6.3 हज–2019 में हज यात्रियों की सुविधा हेतु मध्यप्रदेश राज्य हज कमेटी द्वारा हज यात्रियों की देखभाल हेतु सऊदी अरब भेजे जा रहे खादिमुल हुज्जाज (हज सेवक) के फोटो एवं मोबाइल नम्बर युक्त कार्ड समस्त हज यात्रियों को उपलब्ध कराए गए तथा हज के पूरे 45 दिन के कार्यकाल के लिए एक 24 घण्टे का कॉल सेन्टर हज हाउस भोपाल में स्थापित किया गया था। इसके उत्साहजनक परिणाम प्राप्त हुए।

4.6.4 हज–2021 में हज यात्रियों के हज यात्रा हेतु 2893 ऑनलाईन आवेदन प्राप्त हुए थें परन्तु कोविड–19 के कारण हज–2021 के लिए हज यात्री हज यात्रा पर नही जा सकें।

4.6.5 वर्ष 2022 हेतु हज यात्रियों की सुविधा हेतु मध्यप्रदेश राज्य हज कमेटी कार्यालय, हज हाऊस भोपाल में ऑनलाईन ई.सुविधा केन्द्र स्थापित कर ऑनलाईन हज आवेदन कराये जा रहे है।

4.6.7 **बजट–** वर्ष 2019–20 में राशि रू. 180.00 लाख का प्रावधान किया गया था जिसके विरूद्ध राशि रूपये 178.09 लाख की गई। वर्ष 2020–21 में राशि रूपये 186.90 लाख का प्रावधान किया गया है, जिसके विरूद्ध राशि रूपये 52.00 लाख व्यय की गई तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021–22 में राशि रूपये 180.00 लाख का प्रावधान है, जिसके विरूद्ध राशि रूपये 90.00 लाख व्यय की गई।

4.7 मसाजिद कमेटी :–

भोपाल,सीहोर एवं रायसेन जिलों में स्थित मस्जिदों की देखरेख के लिये मसाजिद कमेटी, भोपाल का गठन मर्जर अनुबंध के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा किया जाता है। मसाजिद कमेटी द्वारा भोपाल, सीहोर एवं रायसेन की मसाजिद के ईमाम, पेश ईमाम व मोअज्जिनों को मानदेय एवं स्टाफ को वेतन का भुगतान किया जाता है। मसाजिद कमेटी के अंतर्गत दारूल क़जा, दारूल इफ्ता एवं मदरसा हमीदिया इस्लामिया हाई स्कूल संचालित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त मसाजिद कमेटी की शाखाओं द्वारा निकाह आदि की व्यवस्थाएं कराना एवं मुस्लिम समाज को धार्मिक परामर्श दिया जाता है।

बजट– वर्ष 2019–20 में राशि रूपये 375.00 लाख का प्रावधान किया गया, जिसके विरूद्ध राशि रूपये 368.75 लाख का व्यय किया गया। वर्ष 2020–21 में राशि रूपये 388.00 लाख का प्रावधान किया गया, जिसके राशि रू. 260.04 लाख की राशि का व्यय किया गया। वित्तीय वर्ष 2021–22 में राशि रू. 388.00 लाख का प्रावधान किया गया है, जिसके विरूद्ध राशि रूपये 202.06 लाख का व्यय हुआ है।

मसाजिद कमेटी को निकाह फीस/रायसेन कज़ा/मुकदमाती फीस/किराया अराईज नवीस एवं अन्य स्त्रोतों से आय के रूप में वर्ष 2018–19, 2019–20 एवं 2020–21 में कुल राशि रूपये 218.99 लाख की आय प्राप्त हुई थी।

4.8 म.प्र. राज्य वक्फ न्यायाधिकरण :–

4.8.1 वक्फ सम्पत्तियों संबंधी न्यायालयीन प्रकरणों को त्वरित गति से निपटाने के लिए वक्फ न्यायाधिकरण का गठन किया गया हैं। वक्फ न्यायाधिकरण में जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्तर के अधिकारी पीठासीन अधिकारी के पद पर पदस्थ है। वक्फ न्यायाधिकरण में सम्पत्तियों से संबंधित विवादों के बारे में इस न्यायाधिकरण को मूल एवं अपीलीय दोनों क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं। अपीलीय क्षेत्राधिकार में मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड द्वारा पारित आदेशों के विरूद्ध भी पीड़ित पक्षकार

वक्फ बोर्ड के विरूद्ध अपील पेश कर सकता है। वक्फ सम्पत्तियों के संबंध में इस अधिकरण का निर्णय अंतिम होता है, जिसके विरूद्ध अपील आदि का प्रावधान नहीं है।

4.8.2 प्रकरणों का निपटाराः– न्यायाधिकरण में वर्ष 1995 से 31–12–2021 तक प्राप्त प्रकरणों की संख्या 5468 है जिसमें से 4942 प्रकरण निराकृत हो चुके है तथा 526 प्रकरण निराकरण हेतु शेष है।

बजट– वक्फ न्यायाधिकरण को वित्तीय वर्ष 2021–22 में राशि रू. 66.41 लाख का प्रावधान किया गया है जिसके विरूद्ध 10–01–2022 तक राशि रू. 47,64,800/– लाख व्यय की गयी है।

4.9 म0प्र0 पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठनः–

4.9.1 मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का प्रदेश में पिछड़े वर्ग की वर्तमान, सामाजिक, शैक्षिणक तथा आर्थिक स्थिति का अध्ययन एवं अनुशंसाएं प्रदान करने हेतु दिनांक 02.09. 2021 को गठन किया गया है।

4.9.2 आयोग का गठन प्रावधान निम्नानुसार है :–

1) आयोग में पॉच अशासकीय सदस्यों की नियुक्ति ऐसे व्यक्तियों में से की जावेगी, जो पिछड़े वर्गों से संबंधित मामलो का ज्ञान रखते हों।
2) इसमें से एक सदस्य आयोग के अध्यक्ष के रूप नामांकित में किया जावेगा, जिसे मंत्री का दर्जा प्राप्त होगा।
3) सदस्यों में से कम से कम एक महिला सदस्य होगी।

4.9.3 आयोग राज्य शासन को निम्न विषयों पर सुझाव एवं अनुशंसाएं प्रस्तुत कर सकेगा–

1 प्रदेश में पिछड़े वर्ग को वर्तमान सामाजिक, शैक्षणिक तथा आर्थिक स्थिति का अध्ययन.
2 शासन के विभिन्न विभागों की संरचना एवं योजनाओं में पिछड़े वर्ग की भागीदारी की वर्तमान स्थिति का अध्ययन.
3 राज्य की शैक्षणिक संस्थाओं में पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को मिल रहे लाभों का अध्ययन.
4 राज्य में पिछड़े वर्ग के युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों का आकलन तथा इसमें वृद्धि के उपाय.
5 राज्य में पिछड़े वर्ग के युवाओं हेतु कौशल उन्नयन कार्यक्रमों तथा प्रशिक्षण के संचालन की वर्तमान स्थिति की समीक्षा.
6 प्रदेश में पिछड़े वर्ग के सामाजिक, शैक्षणिक तथा आर्थिक कल्याण हेतु अन्य कोई उपाय तथा अनुशंसाएं।

बजट– नवगठित आयोग कार्यालय हेतु अनुपूरक अनुदान 2021–2022 में नई बजट लाईन (64–2225–03–001–0101–9918) खोली जाकर प्रथक से बजट का प्रावधान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में राशि रू. 50.25 लाख का प्रावधान किया गया है।

भाग–5

सामान्य प्रशासनिक विषय

विभागीय पदोन्नतियाँः– पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग अंतर्गत आदिम जाति कल्याण विभाग से पृथक सेवा भर्ती नियम तैयार किये गये है तथा नवीन भर्ती नियमों के अनुसार पदोन्नति की कार्यवाही की जावेगी।

विभागीय जांचः– पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग अंतर्गत किसी भी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध विभागीय जांच लंबित नहीं है।

नियुक्तियाँः–

1. वर्ष 2021–22 में म0प्र0 पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग में निम्नानुसार नियुक्तियॉ की गईः–

(i) माननीय श्री गौरीशंकर बिसेन – अध्यक्ष

(ii) माननीय श्री प्रदीप पटेल – सदस्य

(iii) माननीय श्रीमती कृष्णा गौर – सदस्य

2. विभाग में वर्ष 2021–22 में निरीक्षक के पद पर श्रो पवन मण्डोत की नियुक्ति की गई।

स्थानांतरणः–मध्यप्रदेश शासन, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग अंतर्गत निम्नांकित अधिकारियों का स्थानान्तरण किया गयाः–

सहायक संचालक

स.क्र.	अधिकारी का नाम	स्थानांतरण पूर्व पदस्थ जिला	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री प्रवीण कुमार श्रीवास्तव	सीहोर	कार्यालय आयुक्त, भोपाल
2.	श्री योगेन्द्र राज	धार	सिंगरौली
3.	श्री विशाल श्रीवास	बैतूल	छतरपुर
4.	श्री संगीत देशमुख	हरदा	छिंदवाड़ा
5.	सुश्री दिव्या राय	डिण्डौरी	सीहोर
6.	सुश्री निकिता तामरे	श्योपुर	शिवपुरी
7.	श्री तीरथ गर्मे	सिवनी	मंदसौर
8.	श्री रविपाल मोरी	झाबुआ	बड़वानी

निरीक्षक

स.क्र.	अधिकारी का नाम	स्थानांतरण पूर्व पदस्थ जिला	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री राघव पटसारिया	छतरपुर	दमोह
2.	श्री राकेश राठौर	शाजापुर	नरसिंहपुर

निरीक्षक			
स.क्र.	अधिकारी का नाम	स्थानांतरण पूर्व पदस्थ जिला	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
3.	श्रीमती जैनव हमीद	विदिशा	होशंगाबाद
4.	श्री राम कुमार त्रिवेदी	रतलाम	छतरपुर
5.	सुश्री रश्मि तिवारी	दमोह	रतलाम
6.	सुश्री शिवानी अग्रवाल	मुरैना	ग्वालियर
7.	सुश्री दीक्षा जादौन	भिण्ड	मुरैना
8.	श्री हरिओम सिंह जादौन	ग्वालियर	मुरैना
9.	श्री दिलीप कुमार श्रीवास	होशंगाबाद	मंडला
10	श्री सुधीर पाठक	होशंगाबाद	झाबुआ

विधान सभा संबंधी कार्यः– प्रतिवेदन अवधि में प्राप्त सभी विधान सभा प्रश्नों,एवं अन्य सूचनाओं तथा ध्यानाकर्षण के उत्तर विधानसभा को प्रस्तुत किए गए। वर्तमान में विभाग से संबंधित 29 आश्वासनों की पूर्ति लंबित है।

संयुक्त परामर्शदात्री समिति की बैठकः– प्रतिवेदन अवधि में गठित संयुक्त परामर्शदात्री समिति की बैठक दिनांक 08–03–2017 को सम्पन्न हुई है।

न्यायालयीन कार्यः– अधिकारी एवं कर्मचारियों से संबंधित न्यायालयीन प्रकरणों की संख्या 15 है।

भाग–6

प्रकाशन

पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021–22 में कोई नवीन प्रकाशन नहीं कराया गया है।

भाग–7

राज्य महिला नीति के अंतर्गत महिलाओं के कल्याण हेतु संचालित योजनाओं/गतिविधियों की जानकारी

1. पिछड़े वर्ग की कक्षा 6 से 10 तक प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति कक्षा 11वी, 12वी और उससे आगे महाविद्यालयीन/तकनीकी कक्षाओं में उच्च शिक्षा हेतु पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति छात्राओं को भी प्रदान की जा रही है जिसमें लगभग 30 प्रतिशत बालिकाओं को भी लाभांवित किया जाता है।
2. पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लिये मेधावी पुरस्कार योजना में 50 प्रतिशत महिला लाभार्थी का प्रावधान किया गया है। योजना में प्रति वर्ष प्रत्येक जिले में 02 बालिकाओं को लाभांवित किया जाता है। इस प्रकार कुल 104 बालिकाओं को लाभांवित किया जाता है।
3. पिछड़े वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवक–युवतियों की रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण योजना अंतर्गत लगभग 30 प्रतिशत बालिकाओं को प्रशिक्षित किया जाता है।
4. प्रदेश के समस्त जिलों में पिछड़े वर्ग की छात्राओं के लिए 50 सीटर पोस्टमैट्रिक कन्या छात्रावासों की स्थापना की गई है। जिनमें शतप्रतिशत बालिकाएं लाभांवित हो रही है।
5. केन्द्र प्रवर्तित योजनांतर्गत संभागीय मुख्यालय जबलपुर में 500 सीटर पोस्टमैट्रिक कन्या छात्रावास भवन का निर्माण कार्य पूर्णता की ओर है। जिला दमोह में 100 सीटर पोस्टमैट्रिक कन्या छात्रावास भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। जिला उज्जैन में 100 सीटर पोस्टमैट्रिक कन्या छात्रावास भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है। जिनमें शतप्रतिशत बालिकाएं लाभांवित होंगी।
6. प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम योजना(पूर्व में एमएसडीपी योजना) अंतर्गत चिन्हित 5 अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में अल्पसंख्यक वर्ग की कन्याओं के लिए तीन 50 सीटर एवं एक 100 सीटर छात्रावास भवन भोपाल जिले में पूर्ण हो गए हैं तथा एक–एक 100 सीटर छात्रावास कुल 4 क्रमशः श्योपुर, खरगौन,बुरहानपुर में छात्रावास निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है एवं महू केन्द्र इन्दौर में भवन निर्माण की कार्यवाही प्रचलन में है। जिनमें शतप्रतिशत बालिकाएं लाभांवित होंगी।
7. विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 में नवीन एवं नवीनीकरण सहित कुल 15 छात्राओं को विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति स्वीकृत कर वितरित की गई।
8. राज्य एवं संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफलता पर प्रोत्साहन योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 में कुल 34 महिला अभ्यार्थी को प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की गई ।
9. म0प्र0 रामजी महाजन पिछड़ा वर्ग सेवा राज्य पुरस्कार योजना में प्रतिवर्ष 8 महिलाओं को पुरस्कृत करने का प्रावधान किया गया है।
10. सावित्री बाई फुले पिछड़ा वर्ग सेवा राज्य पुरस्कार प्रदेश की 01 ऐसी महिला समाजसेवी को दिया जाता है, जिसके द्वारा पिछड़े वर्ग की शिक्षा एवं महिला उत्थान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य, साहित्य एवं कला का सृजन एवं प्रकाशन किए हो। 01 महिला समाजसेवी को रू. दो लाख नगद एवं प्रतीक चिन्ह से सम्मानित करने का प्रावधान किया गया है।
11. विभाग की अल्पसंख्यक सेवा राज्य पुरस्कार योजना में प्रतिवर्ष 1 महिला समाजसेवी को पुरस्कृत करने का प्रावधान किया गया है।
12. अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों की प्रीमैट्रिक,पोस्टमैट्रिक एवं मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति अंतर्गत दी जाने वाली छात्रवृत्ति में 30 प्रतिशत राशि छात्राओं को वितरित किये जाने के नियम है।

———————————

भाग–8

रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण योजना

- प्रदेश के पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवक–युवतियों के रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण हेतु दो पृथक–पृथक योजनाएं संचालित हैं :–

  1. पिछड़े वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवक–युवतियों की रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण योजना।
  2. अल्पसंख्यक वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवक–युवतियों की रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण योजना।

- योजना अंतर्गत शासकीय/अर्द्धशासकीय एवं निजी स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से प्रदेश के पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के युवक–युवतियों को प्रदेश के सभी संभागीय मुख्यालयों पर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं का परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

मध्यप्रदेश शासन द्वारा घोषित पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित जातियों की सूची

क्र.	नाम जाति/उपजाति/वर्ग समूह	परम्परागत व्यवसाय	कैफियत
1	अहीर, ब्रजवासी, गवली, गोली, जादव (यादव) बरगाही, बरगाह, ठेठवार, राउत गोवारी(ग्वारी) गोवरा, गवारी, ग्वारा, गोवारी महाकुल(राउत) महकुल, गोप ग्वाली, लिंगायत, गोपाल ग्वाल, ग्वाला	पशुपालन व दूध विक्रेता का व्यवसाय करने वाली जाति पशुपालन	यादव अहीर जाति की उपजाति के रूप में शामिल की गई है, अधिकांश अहीर व उसकी उपजातियां अपने को यादव कहती हैं व लिखती है, यादव राजपूत इसमें शामिल नही है। यह जाति म0प्र0 के इंदौर एवं खंडवा जिलों में निवासरत है। संपूर्ण म.प्र. के लिये मान्य।
2	असारा, असाड़ा	कृषि कार्य	—
3	वैरागी (वैष्णव)	धार्मिक भिक्षावृत्ति करने वाली जाति	वैष्णव को बैरागी की उपजाति के रूप में शामिल किया गया है, ब्राहम्ण जाति के बैरागी शामिल नही किये गये है।
4	बंजारा, बंजारी, मथुरा, नायक, नायकड़ा धुरिया, लभाना, लबाना, लामने	घुम्मकड़ बैलों को हांककर व्यवसाय करने वाली जाति	नायक को बंजारा जाति की उपजाति के रूप में सम्मिलित किया है. नायक ब्राहम्ण शामिल नही है।
5	बरई, तमोली, तम्बोली, कुमावट, कुमावत, वारई, चौरसिया	पान उत्पादक व विक्रेता	बरई तथा तमोली जाति के लोग अपने को चौरसिया कहते है।
6	बढ़ई, सुतार, दवेज, कुन्देर (विश्वकर्मा)	कृषि कार्य हेतु लकड़ी के औजार बनाना, लकड़ी का फर्नीचर तैयार करना	विश्वकर्मा को बढ़ई की उपजाति के रूप में सम्मिलित किया गया है।
7	बारी	पत्तों से पत्तल बनाने वाली जाति	—
8	वसुदेव, वसुदेवा, वासुदेव, वासुदेवा, हरबोला, कापड़िया, कापड़ी, गोंधली, थारवार	विरूदावली गाना एवं बैल भैंसो का व्यापार करना व धार्मिक भिक्षावृत्ति	इस क्रमांक में वसुदेव जाति की सभी उपजातियों को शामिल किया गया है।
9	भड़भूंजा, भुंजवा, भुर्जी, धुरी, या धूरी	चना, लाई, ज्वार इत्यादि खाद्यान्न का भाड़ में भूंजना	इसमें वैश्य जाति से अपने को संबंद्व करने वाली जाति शामिल नही है.
10	भाट, चारण, सुतिया, सालवी, राव, जनमालोंधी, जसोंधी, मरूसोनिया	राजा के सम्मान में प्रशंसात्मक कविता पाठ व विरूदावाली का गायन करना	—
11	छीपा, भावसार, नीलगर, जीनगर, निराली, रंगारी, मनधाव	कपड़ों में छपाई व रंगाई	—

12	ढीमर, भोई, कहार, कहरा, धीवर/मल्लाह/नावड़ा/ तुरहा, केवट, (कश्यप, निषाद, रायकवार, बाथम) कीर, ब्रितिया (वृत्तिया) सिंगराहा, जालारी, जालारनलु, सोंधिया (विलोपित)	मछली पकड़ना, पालकी ढोना, घरेलू नौकरी करना, सिंघाड़ा व कमल–गट्टा उगाना, पानी भरना, नाव चलाना	बाथम, कश्यप, रायकवार, भोई जाति की उपजातियां हैं, इसी रूप में सम्मिलित की गई है। जालारी (जालारनलु) बस्तर जिले में पाई जाती है।
13	पंवार, पोवार, भोयर, भोयार,	कृषि एवं कृषि मजदूरी	इसमें पंवार/पवार राजपूत शामिल नहीं
14	भुर्तिया, भुतिया	पशुपालन व दुग्ध व्यवसाय	–
15	भोपा, मानभाव	धार्मिक भिक्षावृत्ति	इस जाति का वह समुदाय जो गैर ब्राहम्ण है. सूची में शामिल किया गया है ।
16	भटियारा	भट्टी लगाकर सार्वजनिक उपयोग के लिये खाद्य पदार्थ तैयार करना है.	–
17	चुनकर, चुनगर, कुलबंधया, राजगीर	चूना, गारा का कार्य करने व भवन निर्माण इत्यादि में कारीगरी का कार्य करना	–
18	चितारी	दीवालों पर चित्रकारी करना	–
19	दर्जी, छीपी, छिपी, शिपी, मावी, (नामदेव)	कपड़ा सिलाई करना	–
20	धोबी (भोपाल,रायसेन, सीहोर जिलों को छोड़कर) बट्ठी, बरेठा, रजक	कपड़ा साफ करना	धोबी, भोपाल, रायसेन व सीहोर जिले में अनु.जाति में शामिल है.
21	मीना(रावत)देशवाली, मेवाती, मीणा(विदिशा जिलें की सिरोंज व लटेरी तहसील को छोड़कर)	कृषक	रावत मीना जाति की उपजाति है जो ब्राहम्ण नही है. मीणा /मीना सिरोंज तहसील में अनु. जनजाति में घोषित है
22	किरार, किराड़, धाकड़	कृषक	राजपूत इसमें शामिल नही है।
23	गड़रिया, धनगर, कुरमार, हटगर, हटकर, हाटकार, गाड़री, धारिया, धोषी (गड़रिया) गारी, गायरी, गड़रिया (पाल बघेले)	भेड़ बकरी पालना	गड़रिया जाति व उसकी उपजातियॉ अपने को पाल व बघेले भी कहते हैं पाल व बघेले गड़रिया जाति को उपजाति के रुप में शामिल किये गये हैं. बघेले राजपूत पिछड़ी जाति में शमिल नहीं है.
24	कडेरे, धुनकर, धुनिया, धनका, कोड़ार	कपास की रुई धुनकने का कार्य करना. कडेरे आतिशबाजी बनाने का कार्य भी करते है।	–

25	कोष्टा कोष्टी (देवांगन) कोस्टा, माला, पदमशाली, साली, सुतसाली, सलेवार, सालवी, देवांग, जन्द्रा, कोस्काटी, कोश्काटी (लिंगायत) गढवाल, गरेवार, गरवार, डुकर, कोल्हाटी	बुनकर	इस समूह में सम्मिलित डुकर कोल्हाटी कर्त्तव्य व कसरत का प्रदर्शन करते है.
26	धोली / ड़फाली / ड़फली / ढोली, दमामी, गुरव	गांव पुरोहित का कार्य शिव मंदिरो में पूजा व उपजातियॉ ढोल बजाने का कार्य करती हैं.	इस समूह में ब्राम्हण समूह शामिल नहीं है.
27	गुसाई, गोस्वामी	धार्मिक भिक्षावृत्ति, मंदिरो में महंती	ब्राम्हण जाति से संबंधित कहने वाले लोग इस समूह में सम्मिलित नहीं है.
28	गूजर (गुर्जर)	कृषक, पशुपालन	राजपूत व क्षत्रिय कहलाने वाले सम्मिलित नहीं हैं.
29	लोहार, लुहार, लोहपीटा, गड़ोले, हुंगा लोहार, लोहपटा, गड़ोला, लोहार (विश्वकर्मा)	लोहे के औजार बनाने का कार्य करना	विश्वकर्मा में ब्राम्हण वर्ग सम्मिलित नहीं है.
30	गारपगारी, नाथ–जोगी, जोगीनाथ, हरिदास	गारपगारी ओलावृष्टि की रोक करके फसल की रक्षा का कार्य करते है. जोगी व इस समूह की अन्य जातियॉ धार्मिक भिक्षावृत्ति का व्यवसाय करते हैं	''जोगी'' धार्मिक भिक्षावृत्ति करते हैं लेकिन इस समूह में जो ब्राम्हण हैं, वे शामिल नहीं हैं
31	घोषी	भैंस पालक व पशुपालक	इसमें राजपूत क्षत्रिय शामिल नहीं हैं
32	सोनार,सुनार, झाड़ी (स्वर्णकार) अवधिया औधिया, सोनी (स्वर्णकार)	स्वर्ण एवं चांदी के आभूषण उगढने व बनाने का कार्य करना	इस समूह में सोना–चांदी के व्यापारी वर्ग या ज्वेलर्स सम्मिलित नहीं हैं.
33	(अ) काछी (कुशवाहा, शाक्य, मोर्य) कोयरी या कोइरी (कुशवाहा),पनारा, मुराई, सोनकर कोहरी (ब) माली(सैनी), मरार, फूलमाली(फूलमारी)	शाक–सब्जी उत्पादन व साग–सब्जी तथा फूल उत्पादन व बागवानी कृषि कार्य एवं मजदूरी – बागानों में फूलों की खेती, हार, माला बनाना	''कुशवाहा'' काछी कोयरी व कोइरी जाति की उपजाति हैं. काछी जाति के शाक्य व मोर्य भी उपजातियां है। यह जाति मध्यप्रदेश के बालाघाट एवं सिवनी जिलों में पाई जाती है. कुशवाह राजपूत इसमें शामिल नहीं है. यह जाति मुख्यतः म.प्र. के बालाघाट, धार, खण्डवा, उज्जैन जिलों में पाई जाती है किन्तु

			संपूर्ण म.प्र. के लिये मान्य होगी।
34	जोशी (भड्ड़री) ड़कोचा, ड़कोता	ज्योतिष का व्यवसाय व शनि का दान लेना	शनिदेव के नाम पर भिक्षावृत्ति व मृत्यु दान लेना, जोशी जाति के लोग करते हैं, जोशी ब्राहम्ण इसमें शमिल नहीं हैं
35	लखेरा, लखेर, कचेरा, कचेर	लाख का कार्य करने कांच की चूड़ियां बेचना	–
36	ठठेरा, कसार, कसेरा, तमेरा, तम्बटकर, ओटारी, ताम्रकार, तमेर, घड़वा, झारिया, कसेर	तांबा, पीतल व कांसा के बर्तन बनाना.	–
37	खातिया, खाटिया, खाती	कृषक,	–
38	कुम्हार (प्रजापति), कुंभार (छतरपुर, दतिया, पन्ना, टीकमगढ,सतना, रीवा, सीधी, शहड़ोल, उमरिया, अनूपपुर, सिंगरौली जिलो को छोड़कर)	मिट्टी के बर्तन बनाना	कुम्हार जाति छतरपुर, दतिया, पन्ना, टीकमगढ़, सतना, रीवा, सीधी, शहड़ोल, उमरिया, अनूपपुर, सिंगरौली जिलों में अनुसूचित जाति में शामिल हैं.
39	कुरमी, कुरमार, कुनबी, कुर्मी, पाटीदार (कुलमी, कुल्मी, कुलम्बी) कुर्मवंशी, चन्द्राकर, चन्द्रानाहू, कुंभी गवैल (गमैल) सिरवी	कृषक, कृषि मजदूरी	–
40	कमरिया	पशुपालक व दुग्ध विक्रेता	–
41	कौरव, कांवरे	कृषक	–
42	कलार (जायसवाल) कलाल, ड़ड़सेना	मदिरा (शराब) बेचना	–
43	कलौता, कलौटा, कोलता, कोलटा	कृषक	–
44	लोनिया, लुनिया, ओड़, ओडे, ओड़िया, नौनिया, मुरहा, मुराहा, मुड़हा, मुड़ाहा	नमक बनाना व साफ करना, मिट्टी खोदना	–
45	नाई (सेन, सविता, उसरेटे, श्रीवास) म्हाली, नाव्ही, उसरेटे	बाल बनाना, विवाह शादी में संस्कार सम्पन्न कराना.	सेन, सविता, श्रीवास, उसरेटे नाई की उपजातियों के रुप में सम्मिलित की गई हैं.
46	नायटा, नायड़ा	लघु कृषक, कृषि मजदूरी	–
47	पनका, पनिका (छतरपुर, पन्ना, दतिया, टीकमगढ, सतना, रीवा, सीधी, शहड़ोल, उमरिया, अनूपपुर, सिंगरौली जिलो को छोड़कर)	मजदूरी करना गांव की चौकीदारी करना. बुनकर	''पनिका'' छतरपुर, पन्ना, दतिया, टीकमगढ, रीवा, सतना, सीधी, शहड़ोल, उमरिया, अनूपपुर, सिंगरौली जिले में अनु. जनजाति में शामिल हैं.
48	पटका, पटकी, पटवा	सिल्क के धागे कपड़े सूत बनाना	जैन धर्म के लोगों को छोड़कर
49	लोधी, लोधा, लोध	कृषक	–

50	सिकलीगर	शस्त्र सफाई लोहे के औजारों की धार तेज करना	–
51	तेली (ठाठ, साहू, राठौर)	तेल पेरना व बेचने का व्यवसाय करना	तेली जाति के लोग अपने को साहू व राठौर कहते है।. राठौर को तेली की उपजाति में सम्मिलित किया गया है. राठौर राजपूत इसमें शामिल नहीं हैं.
52	तुरहा, तिरवाली, बड्ड़र, मिर्धा (विलोपित)	मिट्टी खोदने का काम करना, पत्थर तरासना	–
53	तवायफ (विलोपित), किसड़ी, कसड़ी	नाच–गाकर मनोरंजन करने वाले	–
54	वोवरिया	मजदूरी	अनुसूचित जनजाति कोरकू की उपजाति है. बैतूल जिले की भंवरगढ क्षेत्र में निवास करती है.
55	रोतिया, रौतिया	जो कृषि कार्य करती है. पूर्व में सैनिकवृत्ति करती थीं	सरगूजा तथा जसपुर क्षेत्र में पाई जाती है.
56	मानकर, नहाल	जंगली जनजाति मजदूरी करना	मानकर की उपजाति निहाल अनुसूचित जनजाति में शामिल.
57	कोटवाल (भिण्ड,धार,देवास,गुना, ग्वालियर, इन्दौर,झाबुआ खरगौन, मंदसौर ,मुरैना, राजगढ़, रतलाम शाजापुर, शिवपुरी, उज्जैन, विदिशा, अशोकनगर, आगर–मालवा, अलीराजपुर जिलों को छोड़कर) कोटवार विलोपित	ग्राम चौकीदारी	कोटवाल जाति को भिण्ड, धार, देवास, गुना, ग्वालियर, इन्दौर, झाबुआ, खरगौन, मंदसौर, मुरैना, राजगढ़, रतलाम,शाजापुर शिवपुरी, उज्जैन, विदिशा, अशोकनगर, आगर–मालवा, अलीराजपुर जिलों में अनुसूचित जाति में शामिल किया गया है.
58	खैरूवा (विलोपित)	कत्था बनाना	खैरूवा, खैरवार की उपजाति है. खैरवार अनु.जनजाति में शामिल है.
59	लोढ़ा(तंवर)	कृषक, मजदूरी, लकड़ी बेचकर जीवन यापन करना	–
60	मोवार	जंगली जानवरों का शिकार व मजदूरी	एक अघोषित आदिम जजा
61	रजवार	कृषक, कृषि मजदूर	–
62	अघरिया	कृषक, कृषि मजदूरी	यह जाति अगरिया जनजाति से भिन्न जाति है.
63	तिउर, तूरी	मछली पकड़ना व उसका व्यवसाय करना नाविक बांस	–

		एवं बैंत का सामान बनाने का कार्य करना	
64	भारूड़	पशुओं की पीठ पर लदान द्वारा माल ढ़ोना	मुगलकाल में फौज की रसद ढ़ोने का कार्य भी करते थे.
65	सुत सारथी–सईस/सहीस	घोड़ों की देखरेख, घोड़ागाड़ी हांकना	–
66	तेलंगा, तिलगा	कृषि श्रमिक	जंगली आदिम जाति जो तेलगु भाषी है. विशेषकर बस्तर जिलें में पाई जाती है.
67	राघवी	कृषि कार्य करना	–
68	रजभर, राजभर	कृषि मजदूरी	–
69	खारोल	कृषि मजदूरी	–
70	सरगरा (विलोपित)	–	–
71	गोलान, गवलान, गौलान	गाय, भैंस पालना और दूध का व्यवसाय करना	–
72	रज्जड़, रजझड़	कृषि मजदूरी	–
73	जादम	कृषि मजदूरी	–
74	दांगी/डांगी	कृषक	राजपूत इस सूची में सम्मिलित नही है.
75	गयार/परधनिया	कृषि मजदूर एवं पालतू पक्षी पकड़कर बेचने वाले	रायगढ़ जिलें में अधिकतर पाये जाते है.
76	कुड़मी	कृषक	अधिकतर बैतूल जिलें में निवास करते हैं.
77	मेर	कृषि मजदूर	गुना जिलें में आबाद है
78	वया महरा/कौशल, वया	बुनकर	अधिकांशतः दुर्ग जिलें में निवास करते है.
79	पिंजारा (हिन्दू)	–	–
80	विलोपित	–	–
81	अनुसूचित जातियां जिन्होंने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया है.	पेशा वही है जो धर्म परिवर्तन के पूर्व करते आ रहे है.	अनु.जातियां जिन्होंने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया है
82	आंजना	–	–
83	धोरिया	–	–
84	गेहलोत मेवाड़ा	–	–
85	रेवारी	–	–
86	रूवाला/रूहेला	कृषि	–
	मुस्लिम धर्मावलम्बी समूह की जातियां		
87	(1) रंगरेज	कपड़ों की रंगाई	हिन्दू छीपा जाति के समान व्यवहार
	(2) भिश्ती, अब्बासी ''सक्का''	पानी भरने का काम	हिन्दुओं की कहार जाति के समान धंधा

	(3) छीपा	कपड़ों में छपाई करना	हिन्दु छीपा जाति के समान व्यवहार
	(4) हेला	मलमूत्र सफाई का कार्य	हिन्दू मेहतर जाति की तरह कार्य
	(5) भटियारा	भोजन बनाने का कार्य	–
	(6) धोबी	कपड़ा धोने का कार्य	हिन्दुओं की धोबी जाति के समान व्यवस्था
	(7) मेवाती	कृषि पशुपालन कार्य के समान कार्य	हिन्दू मेवाती जाति के समान कार्य
	(8) पिंजारा, नद्दाफ, बेहना, धुनिया, धुनकर, फकीर, शाह, साई कब्रखोदू	रूई धुनाई का कार्य भिक्षावृत्ति एवं कब्र खोदना	हिन्दुओं में कडेरा जाति के समान
	(9) कुंजड़ा राईन	साग सब्जी फल इत्यादि बेचना	हिन्दुओं की काछी जाति के समान साग सब्जी का कार्य
	(10) मनिहार	कांच की चूड़ियां व बिसैंत खाने का सामान बेचना	हिन्दुओं की कचेर जाति के समान धंधा
	(11) कसाई, कस्साव	पशुओं का वध एवं उनका मांस/गोश्त बेचने का कार्य	हिन्दू खटीक जाति के समान धंधा
	(12) मिरासी	विरूदावली, यशोगान का वर्णन करना	हिन्दू भाट जाति के तरह पेशा
	(13) मिरधा	चौकीदारी/रखवाली	हिन्दुओं की मिरधा की तरह व्यवसाय
	(14) बढ़ई (कारपेन्टर) खरादी कमलीगर	लकड़ी का सामान एवं फर्नीचर बनाने का काम लकड़ी पर खरादी का कार्य तथा लाख का कार्य करना	हिन्दू बढ़ई जाति के समान पेशा यह जाति सूची के क्र.87(14) पर अंकित बढ़ई (कारपेंटर) के आगे जोड़ी जाने से कैफियत पूर्ववत रहेगी।
	(15) हज्जाम (बारबर)	बाल बनाने का कार्य	हिन्दुओं में नाई जाति के समान पेशा करने वाले
	(16) हम्माल	वजन ढ़ोना व पल्लेदारी करना	–
	(17) मोमिन जुलाहा (वे जुलाहे जो मोमिन हैं)	कपड़ा बुनाई का कार्य	हिन्दू कोस्टी/कोष्टा जाति के समान पेशा
	(18) लुहार, नागौरी	लोहे के औजार व अन्य समान बनाना	हिन्दुओं के लुहार/लोहार जाति की तरह पेशा करने वाले
	(19) तड़वी	कृषि कार्य	–
	(20) बंजारा	घुमक्कड़ जाति/समूह बैलगाड़ी से सामान ढ़ोना तथा पशुओ को बेचने का व्यवसाय	हिन्दुओं में बंजारा जाति के समान व्यवसाय
	(21) मोची	चमड़े के जूते चप्पल आदि	हिन्दुओं में चमार जाति के

		बनाना	समान व्यवसाय
	(22) तेली, नायता, पिंडारी (पिंडारा) कांकर	कोल्हू से पेरकर तेल निकालना व बेचना	हिन्दू तेली जाति के समान पेशा
	(23) पेमदी	पेड़ पौधो की कलम लगाने का धंधा	—
	(24) कलईगर	बर्तनों व अन्य समान में कलई करना	—
	(25) नालबन्द	बैलों व घोड़ो के पैरों में नाल बांधने का काम	—
	(26) शीशगर	—	—
	(27) गोली	पशुपालन व दूध विक्रेता का व्यवसाय करना	क्रमांक 1 पर हिन्दू गोली के समकक्ष जाति
	(28) राजगीर	ईंट की जुड़ाई चूनागारा भवन निर्माण का कार्य	क्रमांक 17 पर हिन्दू राजगीर के समकक्ष जाति
	(29) डफाली	मांगना	क्रमांक 26 पर हिन्दू डफाली के समकक्ष जाति
	(30) घोषी व गवली, गोली	दूध बेचना व पशु चराना	क्रमांक 31 पर हिन्दू घोषी के समकक्ष
	(31) सिकलीगर	औजारों पर धार लगाना	क्रमांक 50 पर हिन्दू सिकलीगर के समकक्ष जाति
	(32) संतरास	पत्थर की जुड़ाई एवं कटाई	सूची क्रमांक 52 पर हिन्दुओं के समकक्ष मुस्लिम संतरास पत्थर तराशने का कार्य करते है
	(33) नट	कलाबाजी दिखाना	अनुसूचित जाति में सम्मिलित नट जाति के समकक्ष जाति
	(34) शेख मेहतर	सफाई कामगार के रूप में कार्य करना	अनुसूचित जाति में सम्मिलित हिन्दू मेहतर के समकक्ष जाति
	(35) नियारगर	सुनार व सड़क की धूल कचरे व नदी नाले की मिट्टी एकत्रित कर उसे धोकर उसमें से धातु को एकत्रित कर सुनारों के पास बेचना	मुख्यतः मन्दसौर, रतलाम, इन्दौर, देवास, उज्जैन जिलों में निवासरत संपूर्ण म.प्र. के लिए मान्य
	(36) गद्दी	पशुपालन, कृषि तथा मजदूरी	यह जाति मुख्यतः म.प्र. में विदिशा, गुना, राजगढ़, इन्दौर, रतलाम, भोपाल, सतना, श्योपुर जिलों में निवासरत है। संपूर्ण म.प्र. के लिए मान्य
	(37) मुकेरी, मकरानी	पशुपालन एंव पशु व्यवसाय	
	(38) भांड नक्काल	राजदरबार व महफिलों में नौटंकी, नाच, गाने, कव्वाली,	यह जाति मुख्यतः म.प्र. के ग्वालियर, भिण्ड, रीवा, दमोह एवं

		बैण्ड बजाना व विभिन्न मजदूरी	मुरैना जिलों में पाई जाती है, किन्तु संपूर्ण म.प्र. के लिए मान्य होगी।
88	बैसवार	कृषि एवं कृषि मजदूरी करना।	
89	वाणी	आदिवासी अंचलों में वनोपज का व्यवसाय एवं ग्रामीण अंचलों में लगने वाले हाट बाजारों में सड़क किनारे दुकानें लगाने का छोटा मोटा व्यवसाय करने वाले	
90	विश्नोई	कृषि एवं कृषि मजदूरी	यह जाति मुख्यतः म.प्र. के हरदा, होशंगाबाद, देवास, खण्डवा, नरसिंहपुर, जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत है। संपूर्ण म.प्र. के लिये मान्य।
	जाट	कृषि एवं कृषि मजदूरी	यह जाति मुख्यतः हरदा, होशंगाबाद, ग्वालियर, मुरैना, शिवपुरी, देवास, रायसेन, इन्दौर, रतलाम, छिन्दवाड़ा, नरसिंहपुर, जबलपुर, खण्डवा जिलों के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पाई जाती है। संपूर्ण म.प्र. के लिये मान्य है।
91	राठौर जाति	कृषि एवं कृषि मजदूरी	1. यह जाति मध्यप्रदेश में मुख्यतः डिण्डौरी, उमरिया व शहडोल जिलों में निवासरत है। 2. क्षत्रिय राजपूत राठौर इसमें शामिल नही होगें।
92	बहावलपुरी	कृषि, मजदूरी	विद्यमान पाकिस्तान के बहावलपुर प्रांत से विस्थापित होकर सीहोर शहर व बुदनी नगर में बसाए गये मूल परिवार के लोगों को पिछड़ा वर्ग मान्य किया जाता है।
93	सौंधिया	मछली पकड़ना, पालकी ढोना, घरेलू नौकरी करना, सिंघाड़ा व कमल गट्टा उगाना, पानी भरना, नाव चलाने का कार्य। 2. कृषि कार्य एवं पशुपालन	(महाकौशल एवं विंध्य क्षेत्र के जिलो में) 2. समस्त प्रदेश। इसमें सोंधिया जाति के वे लोग भी जो अपने को सोंधिया राजपूत कहते हैं, शामिल होंगे।